यूपीए के तीन वर्ष
आम आदमी की आंखों में
आंसू ही आंसू

भारतीय जनता पार्टी

विषय सूची

१. यूपीए में बिखराव	१
२. संवैधानिक संस्थाओं का अवमूल्यन	१२
३. देश के विभाजन का प्रयास	२१
४. भारत निर्माण का ढकोसला	३०
५. आर्थिक कुप्रबंध	३२
६. विफल विदेश नीति	४०
७. खतरे में आंतरिक सुरक्षा	४४
८. घोटालों की सरकार	५४

यूपीए सरकार में जनता पर महंगाई की मार

केन्द्र में कांग्रेस यूपीए सरकार के कार्यकाल में 'महंगाई' सुरसा के मुख की तरह बढ़ी है। आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। गरीब मजदूरों के नाम पर रोटी सेंकने वाले वामपंथियों का कांग्रेस को समर्थन गरीबों के पेट पर लात माने जैसा कृत्य है। समूचा देश महंगाई की चपेट में है। भारतीय जनता पार्टी देश के नागरिकों के सामने महंगाई का 'सच' प्रस्तुत कर रही है।

वस्तु	मूल्य (प्रतिकिलो) एनडीए (मई, 2004)	मूल्य (प्रतिकिलो) यूपीए (दिस. 2006)
गेहूं	9	18–24
आटा	10	17–20
चावल	10	25–35
ब्रेड	8	18
चीनी	14	22
चाय	80	165–210
मूंग दाल	24	50
अरहर दाल	26	50
मसूर दाल	22	48
चना दाल	25	45
राजमा	28	60
बेसन	20	55
दूध	14 / लीटर	22–24 / लीटर
एलपीजी	244	295
पेट्रोल	33.15	43
डीजल	22.50	30
सीमेंट	125 / बोरी	193–210 / बोरी
स्टील	23000 / टन	28000 / टन
ईंट	1800 / 1000 (संख्या)	3000 / 1000
आम आदमी कैसे जीए? यूपीए जवाब दे।		

प्रकाशक की ओर से

भारतीय जनता पार्टी को देश ने सन् २००४ के लोकसभा चुनाव में विपक्ष में बैठकर प्रहरी की भूमिका निभाने का दायित्व सौंपा। तब से लेकर अब, जब कांग्रेसनीत यूपीए सरकार ने अपने शासन काल के तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं। अतः भाजपा ने सोचा कि जनहित में यूपीए सरकार का लेखा जोखा तैयार किया जाए। हमने सदैव जनप्रहरी की भूमिका का निर्वाह किया है। इस पुस्तक में भाजपा ने आरोप नहीं लगाए हैं बल्कि उन घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है जो पिछले तीन वर्षों में घटित हुई हैं और जिनकी वजह से 'आम जनता' के साथ-साथ भारत ही नहीं विश्व में भारत के सम्मान को गहरा आघात लगा है।

यूपीए सरकार ने गत तीन वर्षों में ''आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ'' जैसे नारों के साथ धोखा किया है। वहीं रोजी-रोटी देने के बजाए, रोजी-रोटी को महंगाई के माध्यम से छीनने का जी-तोड़ उपाय किया है। कानून व्यवस्था चौपट है। आम वस्तुएं लोगों की पहुंच से बाहर हैं। नीति आंतरिक हो या विदेश की, केन्द्र सरकार सभी मोर्चों पर असफल रही है। सीमाएं असुरक्षित, पूर्वांचल अशांत, जम्मू-कश्मीर समस्या और गहरायी है। नक्सलियों द्वारा यूपीए सरकार को आए दिन ठेंगा दिखाया जा रहा है। महिलाओं को ३३ प्रतिशत आरक्षण देने का मामला तो हो नहीं पाया, पर मुस्लिमों को आरक्षण देने सहित तुष्टिकरण के अनेक फैसले जो संविधान के विरूद्ध हैं, यूपीए सरकार निःसंकोच लेती रही। उसने भारत की आत्मा की सदैव उपेक्षा की। यूपीए सरकार ने वोट की राजनीति का घिनौना खेल खेला। यूपीए सरकार वामपंथियों की ताल पर 'ता-ता, थैय्या' करती रही। कमजोर यूपीए सरकार और कमजोर प्रधानमंत्री से वामपंथियों ने एक नहीं अनेक बार राजनैतिक तौर पर कालाबाजारी की।

इन सभी मसलों को भाजपा ने दोनों सदनों में पूरी ताकत से उठाया और अनेक बार यूपीए सरकार को कठघरे में खड़ा किया।

हमने इस पुस्तक में उन सभी पहलुओं को प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जो देशवासियों के जेहन में उमड़-घुमड़ रहा है। वैसे यह पुस्तक भारतीय जनता पार्टी प्रकाशित कर रही है, पर यह भारतीय जनभावना का दस्तावेज है।

प्रकाशक
भारतीय जनता पार्टी

मई २००७

यूपीए की असफलताएं

पिछले तीन वर्षों में कांग्रेसनीत यूपीए सरकार हर मोर्चे पर, चाहे वह राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, गृह अथवा विदेशी मामला हो, बेहद असफल रही है और वह अपने चुनावी घोषणा पत्र में तथा निर्वाचन के बाद न्यूनतम राष्ट्रीय साझा कार्यक्रम में किए गए किसी भी वायदे को निभा नहीं पायी है। दरअसल, तीन साल पूरे होने के साथ ही इसके पतन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर सरकार के कार्यों पर सरसरी नजर डाले तो इसकी लाचारी साफ दिखाई पड़ती है। सच तो यह है कि संप्रग सरकार वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। दरअसल, संप्रग सरकार ने जब से शासन संभाला है, असफलता के कई कीर्तिमान स्थापित हुए हैं।

यूपीए में बिखराव

यदि यूपीए को संयुक्त मानकर चला जाए तो हमें इस 'संयुक्त' की परिभाषा ही पूरी तरह से बदल देनी होगी। यदि जो कुछ कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या वामपंथी पार्टियां जिस ढंग से खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, ऐसी स्थिति में किसी को भी यह शक हो सकता है कि ये यूपीए के भाग हैं अथवा एक दूसरे के विरोधी है। वैसे भी इस गठबंधन की नींव ही मौकापरस्ती पर आधारित है। हर दल अपने-अपने हितों को साधने में लगा है। राष्ट्रहित व जनहित से उसका कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटक

साभारः द हिन्दू

में जनता दल (एस) और मुख्यमंत्री धरम सिंह एक दूसरे से अलग हो गये। संप्रग सरकार से समाजवादी पार्टी ने भी नाता तोड़ लिया। राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी और कांग्रेस के बीच तो आरोपों के तीर चलते ही रहते हैं फिर भी ये सभी यूपीए परिवार का हिस्सा बने हुए है। यही नहीं इस बात का भी रिकॉर्ड रखना बड़ा मुश्किल है कि ये यूपीए के सहयोगी दल चुनावों में गठबंधन बनाकर एक साथ लड़ते हैं अथवा वे एक दूसरे के विरोध में खड़े रहते है।

कांग्रेस ने बिहार में एक वर्ष में दो गठबंधन किए। फरवरी २००५ में कांग्रेस ने श्री रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के साथ मिलकर श्री लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ चुनाव लड़ा परंतु उसी वर्ष नवंबर के चुनाव में कांग्रेस ने श्री पासवान को झटका दिया और दूसरी बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। दिलचस्प बात यह है कि केंद्र में ये सभी यूपीए का हिस्सा बने रहे।

फरवरी २००५ के चुनावों से पहले श्री लालू प्रसाद यादव और श्री राम विलास पासवान दोनों खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते रहे। जहां रामविलास पासवान ने श्री यादव को चारा चोर कहा तो उधर श्री यादव ने श्री पासवान को अव्वल दर्जे का भ्रष्ट बताया और कहा कि मेरे पास पासवान के खिलाफ रेलवे स्लीपर घोटाले के रिकॉर्ड मौजूद हैं और उन्हें आजीवन जेल में रहना होगा। क्योंकि दोनों ही मनमोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री है इसलिए उनसे एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना आरोप की आशा नहीं की जा सकती है। लोग जानना चाहेंगे कि वास्तविकता क्या है और इनमें से कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा था? परंतु प्रधानमंत्री खामोश रहे और उन्होंने अपनी गद्दी बचाने के लिए इस मामले को दबा दिया।

तमिलनाडु, विधानसभा चुनावों में यह स्थिति और भी भ्रम पैदा करने वाली बन गई। एमडीएमके जो केंद्र सरकार में यूपीए का हिस्सा था वह एआईडीएमके के साथ जा मिला जो यूपीए का समर्थन करने वाले गठबंधन में डीएमके के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था।

कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुविधानुसार केंद्र में गठजोड़ तो करती है, लेकिन महाराष्ट्र में अपने फायदे के लिए तलाक ले लेती है, जहां दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। वहीं दोनों

अपने अस्तित्व बचाए रखने के लिए एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। तीन महीने पहले स्थानीय चुनावों में एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए। दोनों दल चुनाव हारे और एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं।

तेलंगाना के साथ धोखा

आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने तेलंगाना राज्य गठन के मुद्दे पर चुनावी गठबंधन किया था कि यदि वे विजयी होते हैं तो वे आंध्रप्रदेश के वर्तमान राज्य को बांट कर एक संपूर्ण तेलंगाना राज्य बना देंगे। दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव में विजयी रहे परंतु कांग्रेस ने लोगों के जनादेश के साथ विश्वासघात किया और कांग्रेस ने अपने इस वायदे को नहीं निभाया। आंध्र के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए यूपीए ने रक्षा मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में इस विषय पर एक समिति गठित कर दी है। समिति और यूपीए सरकार जैसे-तैसे समय काट रही हैं। हताश होकर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति केंद्र और आंध्र सरकार की कैबिनेट दोनों से अपने इन बुनियादी नीतिगत मतभेदों के कारण बाहर निकल आयी।

यूपीए और वामपंथियोके बीच विचित्र सम्बंध

इससे भी विचित्र बात कम्युनिस्ट पार्टियों की है जो बाहर से मनमोहन सरकार को समर्थन दे रही है। अब चाहे बात पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, बिजली, पानी की दरों में बढ़ोतरी की हो अथवा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हो अथवा सरकारी उद्योगों के विनिवेश की हो वामपंथी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जमकर विरोध करते हैं परंतु अन्दर जाकर समझौता कर लेते हैं। उन्होंने हवाई अड्डों के निजीकरण को लेकर यूपीए सरकार के खिलाफ पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन भी किया। जैसे ही वे यूपीए की नीतियों के खिलाफ उसकी भर्त्सना करते हुए गर्म होते हैं तुरंत ही प्रधानमंत्री या कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी उन्हें लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट

पर आमंत्रित कर लेती है और वे इन स्वादिष्ट व्यंजनों का मजा लेते हुए आम आदमी की दुर्दशा को भूल जाते हैं और संतुष्ट होकर अपना लाल झंडा हिलाते हुए इन बैठकों से बाहर आ जाते है। वे स्वादिष्ट भोजन खाने के बाद मनमोहन सरकार के आगे झुक जाते हैं परंतु बाहर आकर सिर्फ राजनीति में खड़ा रहने के लिए अपनी लाचारी का ढोंग रचते है।

वरना वे अपने इस प्रकार के विरोधाभासी व्यवहार को कैसे किसी को समझा सकते है। प्रमुख सीपीएम नेता ने कहा है कि यूपीए सरकार को हमारा समर्थन मानकर नहीं चलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि हम केवल भौंकते नहीं हैं बल्कि काट भी सकते है। परंतु हर महत्वपूर्ण विषय पर जिससे आम आदमी आहत होता है, वामपंथी कभी यूपीए सरकार को काटने की जुर्रत नहीं कर पाते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि या तो उनका भौंकना मात्र दिखावटी है या वे जानते ही नहीं काटना होता क्या है। हालांकि उनको हर विषय पर बहुत धमकाया भी जाता है और उन्हें चुनौती भी दी जाती है। अब तो ऐसा लगता है कि उनके पास काटने वाले दांत है ही नहीं सब टूटे पड़े है।

गठबंधन नहीं, बल्कि एक सर्कस

यूपीए और कम्युनिस्ट गठबंधन राजनीति का विचित्र दर्शन पेश कर रहे हैं इसमें विचारों की और क्रियाओं की एकता की बजाय सिर्फ द्वंद और विरोधाभास है। हर दिन मीडिया में रिपोर्टें आती रहती हैं कि वामपंथियों का कोई न कोई घटक सरकार पर न्यूनतम साझा कार्यक्रम से अलग जाता दिखायी पड़ रहा है। यहां तो विचारों की मत-भिन्नता सहमति से कहीं अलग दिखाई पड़ती है। वामपंथी दल यूपीए सरकार का समर्थन तो करती है परंतु यह उसकी मजबूरी है और इसके पीछे कोई राजनैतिक सोच नहीं है।

इससे वामपंथी पार्टियों की राजनैतिक विचारधारा का, उसकी सोच का और उसके सिद्धांतों का बहुत कुछ पता चल जाता है। सच तो यह है कि उसकी कोई सोच है ही नहीं, वह तो सिर्फ अल्पकालीन रणनीति पर चल रही हैं ताकि वे अपने संकीर्ण स्वार्थपूर्ण एजेंडा और निहित हितों को साध सकें।

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ लोग मनमोहन सरकार

को एक गठबंधन की सरकार नहीं कहते है बल्कि इसे सर्कस का नाम देते हैं जिसके बहुत से जोकर हैं बल्कि देखा जाये तो यूपीए सर्कस भी नहीं है क्योंकि सर्कस में भी बहुत से पात्र होते हैं जो कम से कम किसी एक के निर्देशन में तो चलते ही हैं। परन्तु यह बात यूपीए के मामले में सही नहीं उतरती है।

मनमोहन तथा सोनिया के विरोधाभासी कथन

यहां तक कि कांग्रेस की सुप्रीमो श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा वामपंथियों के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा भी विरोधाभासी रही है। जहां प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में अपने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी सरकार की स्थिरता को बनाए रखने के लिए वामपंथियों को 'मूल्यवान सहयोगी' कहा तो उधर श्रीमती सोनिया गांधी ने डटकर वामपंथियों के खिलाफ तिरस्कारपूर्ण भाषा बोली। कांग्रेस को चुनावों में अपनी इस धोखाधड़ी के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी और उसे पश्चिम बंगाल में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और केरल में वामपंथियों से हार गयी। लोगों ने कांग्रेस की इस धोखाधड़ी के लिए उसे वोट देने से इंकार कर दिया।

दागी मंत्री

किसी भी सरकार के कुछ सिद्धांत होने चाहिए और कुछ नैतिकता होनी चाहिए। यूपीए के पास ऐसा कुछ नहीं है। यह तो राजनैतिक सत्ता हथियाने के लिए एक अवसरवादी सुविधा का गठबंधन है। अलग-अलग राजनैतिक पार्टियों के अलग-अलग राजनैतिक हित और विचारधाराएं हैं और वे एक-दूसरे से लड़ते रहते हैं और विफल होने पर एक अवसरवादी बच्चे का जन्म हो जाता है। मुद्दे, सिद्धांतों, नैतिकता, स्वस्थ परंपराओं और पूर्व उदाहरणों के प्रति वचनबद्धता की कमी है। यही कारण है कि मनमोहन सरकार का जन्म ही पापों से भरा है और उनके मंत्रिमंडल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो न्यायालयों में अभियुक्त हैं और हत्या, डकैती, बलात्कार, हत्या के प्रयास, लूट-खसोट, माफिया संबंधों, भ्रष्टाचार, आय से अधिक धन जोड़नेवाले लोगों का अंबार भरा पड़ा है। लगता है प्रधानमंत्री आपराधिक और समाज विरोधी गतिविधियों वाले व्यक्तियों की सरकार के मालिक है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर किसी भी प्रकार के नापाक गठबंधन को

लेकर सत्ता में बनी रहना चाहती है।

दागी मंत्रियों को बचाने के कार्य में कांग्रेस और दागी मंत्रियों-दोनों का भला है। इसी कारण यूपीए का कोई सहयोगी दल उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुंह नहीं खोलता; शायद दबी आवाज में वामपंथी कुछ कहते हैं भी तो वह दिखावे के लिए है, न कि वे इस बात को दिल से कहना चाहते हैं।

कांग्रेस के चहेते-शिबू सोरेन

इसमें कोई दो राय नहीं कि हत्या जैसे घिनौने अपराध में लिप्त शिबू सोरेन से कांग्रेस का खास लगाव था। इसी खास लगाव के कारण प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उसे मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए बेताब थे। दरअसल, यह सब कुछ सत्ता पाने की लालच में किया गया। शिबू सोरेन को न सिर्फ एक या दो बार मंत्रिमंडल में शामिल किया, बल्कि उसे तीन बार मंत्री पद दिया गया। यह शर्म की बात है कि मनमोहन सरकार का कैबिनेट मंत्री दिल्ली और रांची की कोर्ट के कटघरे में खड़ा था। भाजपा-नीत राजग का विरोध शत-प्रतिशत सच साबित हुआ और शिबू सोरेन को हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। संप्रग ने इतिहास रच डाला, जब एक केंद्रीय मंत्री को हत्या जैसे गंभीर अपराध में लिप्त पाया गया और उसे जेल हुई। स्वतंत्र भारत में ऐसा पहली बार हुआ।

निर्दोष सिद्ध करने का विचित्र ढंग

सोनिया गांधी ने चुनाव के बाद कुछ ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन किया जिनके खिलाफ कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जबर्दस्त संघर्ष किया था। इसके पीछे एक कारण यह भी रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बहुत से घोटाले और भ्रष्टाचार थे। कांग्रेस ने सीबीआई का इस्तेमाल करके बोफोर्स घोटाले से स्व. राजीव गांधी के नाम को न्यायालय से हटाया। उसने कैप्टन सतीश शर्मा के नाम को भी हटा लिया क्योंकि वे भी पेट्रोल पंप घोटाले में फंसे हुए थे।

सीबीआई के निदेशक श्री यूएस मिश्रा ने सेवानिवृत्त होते-होते तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और बाद में श्रीमती सोनिया गांधी के निजी सचिव वी जॉर्ज के खिलाफ करोड़ों रूपये की संपत्ति के मामले को भी बंद करने की सिफारिश कर दी थी। श्री मिश्रा ने

कांग्रेस सांसद और पूर्व छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी के मामले में भी आरोप पत्र दर्ज करने में बहुत धीमी गति से काम किया था।

सोनिया की नवीन चावला पर कृपा दृष्टि

सबसे नवीन मामला निर्वाचन आयुक्त नवीन चावला का है। उन्हें यह पद सिर्फ गांधी परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही मेहरबानियों के कारण मिला जो कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर चली आ रही है। जीवनपर्यन्त श्री चावला ने गांधी परिवार के प्रति सर्वोपरि निष्ठा जताई है। आपातकाल के अंधकार युग में गवर्नर जनरल के हुकुम की बजाय उनके निजी सचिव श्री चावला का हुकुम ही चलता था। शाह कमीशन ने आपात्काल के दौरान की गई ज्यादतियों की जांच करते हुए इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि श्री चावला का काम करने का ढंग इस प्रकार का था कि ''लेफ्टिनेंट गवर्नर सिर्फ लेफ्टिनेंट बन कर रह गया था और प्राइवेट सेक्रेटरी गवर्नर बन गया था।''

श्री चावला की निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति से पहले कांग्रेस सांसदों के सांसद निधि से श्रीमती चावला द्वारा तथा स्वयं उनके अपने नाम पर संचालित ट्रस्ट के लिए लाखों रूपए प्राप्त किए गए। श्री नवीन चावला एक प्रतिष्ठित पद पर है, जिससे देश के प्रत्येक व्यक्ति को उन पर विश्वास तथा भरोसा रहना चाहिए क्योंकि उन्हीं की निगरानी में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने हैं। परन्तु जिस प्रकार की नवीन चावला की पृष्ठभूमि है और उनकी कांग्रेस तथा गांधी परिवार के प्रति जैसी निष्ठा है, उससे उनकी विश्वसनीयता प्रश्न के घेरे में है। फिर भी वे गांधी परिवार की मेहरबानियों के कारण विराजमान हैं।

भाजपा-नीत एनडीए ने श्री चावला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और २०६ सांसदों ने राष्ट्रपति से श्री चावला को निर्वाचन आयुक्त के पद से हटाने की मांग की है। संविधान के अनुच्छेद ३२४ (५) के अन्तर्गत महामहिम राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के पास इस ज्ञापन को भेजा। जबकि कानून के प्रावधान और प्रक्रिया को जानते हुए उनके लिए बाध्यकारी था कि वे इसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजते, जो इस मामले पर विचार करते और राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश करते। वैसा करने की बजाए श्री नवीन चावला को बचाने के लिए,

जिन्हें १० जनपथ का प्रश्रय प्राप्त है, कानून के प्रावधानों तथा प्रक्रिया के खिलाफ अटार्नी-जनरल की राय मांगी गई क्योंकि इस विषय में अटार्नी जनरल की कहीं कोई भूमिका है ही नहीं। अटार्नी-जनरल ने श्री चावला को क्लीन चिट दे दी।

अब लगता है कि सरकार का प्रयास श्री नवीन चावला को क्लीन चिट देने और उसे बचाने का है। भला, मनमोहन सरकार ऐसा क्यों नहीं करेगी, जबकि उसे मालूम है कि श्री चावला के सम्बन्ध १० जनपथ के साथ बहुत गहरे हैं?

बेलगाम महंगाई

कांग्रेस ने 'कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ' नारे के आधार पर सीटें जीती थी, जो आम लोगों के लिए मात्र मृगतृष्णा बन कर रह गई। कांग्रेस के क्रूर हाथों ने आम आदमी की दशा ही बिगाड़ दी है। पिछले एक वर्ष में महंगाई १६ फीसदी बढ़ी है, जबकि प्रतिव्यक्ति आय महज छह फीसदी ही बढ़ पाई है। वर्तमान में महंगाई ने आजादी के बाद के सारे रिकार्ड ध्वस्त कर दिये हैं। गत तीन वर्षों में आटा के दामों में ३५ प्रतिशत, चना, दाल में ५५ प्रतिशत तथा खाद्य तेलों में २५ प्रतिशत में वृद्धि हुई है। यूपीए सरकार के राज में दो वक्त का भोजन जुटाने में भी आम आदमी के पसीने छूट रहे हैं। देश में महंगाई निरंतर बढ़ रही है जबकि उसके हिसाब से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ पा रही है। अभी हाल ही में उद्योग चैंबर ऐसोचैम के इको पल्स ने अपने अध्ययन में यह खुलासा किया है कि प्रतिव्यक्ति आय और प्रमुख खाद्य पदार्थों के महंगा होने के बीच असमानता बढ़ रही है।

एनडीए सरकार के शासनकाल के दौरान एलपीजी की सप्लाई लोगों की आवश्यकता से कहीं अधिक रही थी। उस समय गैस तथा नए कनेक्शन तुरंत मिल जाते थे। यूपीए सरकार के शासन में आते ही कृत्रिम कमी पैदा कर दी गई ताकि सिलेण्डरों की ब्लैकमार्केटिंग कर पैसा बनाने की जुगत बनाई जाए। कांग्रेस और यूपीए सरकार हमेशा ही

आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी तथा ब्लैकमार्केटिंग करने के लिए बदनाम रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों का सिर नीचा किया

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने भारत में ब्रिटिश सरकार की प्रशंसा कर राष्ट्र को शर्मिंदा कर दिया जबकि हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया था और हजारों देशभक्तों ने इस संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति तक दी थी। उनके शब्द देखिएः ''मैं मानता हूं, निःसंदेह, यह न्यायप्रियता के तत्व की उनकी मान्यता थी, जो भारत में अंग्रेजी शासन के चरित्र का हिस्सा था..... उनके कानूनी शासन, संवैधानिक सरकार, स्वतंत्र प्रेस, व्यावसायिक सिविल सेवा, आधुनिक विश्वविद्यालय और अनुसंधान प्रयोगशाला की अवधारणाएं इतनी अहम थी, जिसमें हमारे भारत की युगों पुरानी सभ्यता उस समय के साम्राज्य में आत्मसात हो गईं। ये वह सभी तत्व हैं, जिनका हल हम आज भी मूल्यवान समझते हैं। हमारी न्यायपालिका, हमारी विधि व्यवस्था, हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी पुलिस सभी महान संस्थान हैं, जिन्हें हमने ब्रिटिश-इण्डियन प्रशासन से प्राप्त किया है और इन सभी ने हमारे देश की अत्यंत बेहतर सेवा की है। परन्तु उनकी बात में यहां तक कहा गया है कि औपनिवेशिक शासन से हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के शिखर पर भी पहुंचकर हमने सुशासन के ब्रिटिश दावों को कभी पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया है। हमने केवल स्वायत्त-शासन के अपने नैतिक अधिकार पर बल दिया है।'' आश्चर्य तो यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने इस कथन पर राष्ट्र से माफी तक नहीं मांगी।

शहीदों का अपमान

एनडीए ने विख्यात स्वतंत्रता-सेनानी वीर सावरकर की पट्टिका लगवाई थी, वीर सावरकर ने जिन्होंने पोर्टब्लेयर के सेल्युलर जेल में १० वर्ष से अधिक समय तक ब्रिटिश शासकों के हाथों कष्ट भोगा था, परन्तु यूपीए सरकार ने भारत के इस स्वतंत्रता सेनानी की यह पट्टिका उखाड़ फेंक दी। समझ में नहीं आता कि यदि ऐसे महान व्यक्ति की राष्ट्रीय संदेश देने वाली पट्टिका को वहां नहीं लगाया जाता है तो आखिर किस की पट्टिका वहां लगेगी?

श्रीराम सेतु पर प्रहार

संपूर्ण देशवासी श्रीराम सेतु पर आसन्न खतरे को लेकर चिंतित हैं। विश्व का सबसे पुराना भगवान श्री राम द्वारा श्रीलंका और श्री रामेश्वरम् के बीच निर्मित श्रीरामसेतु को तोड़ने की मंजूरी केन्द्र सरकार ने दी है। संप्रग सरकार हिन्दुओं की आस्था एवं विश्वास के साथ सुनियोजित षड्यंत्र कर रही है। वहीं दूसरी ओर मुगल शासकों द्वारा बनाए गए ताजमहल को बचाए जाने के लिए कारखानों को हटाया जा रहा है व कुतुबमीनार को बचाने के लिए मेट्रो का मार्ग बदला जा रहा है, लेकिन १७ लाख ५० हजार वर्ष पुराने श्रीराम सेतु को तोड़ा जा रहा है।

भारत में श्रीराम सेतु के पास मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा रेडियोधर्मी थोरियम भंडार है, जिसके चलते विदेशी ताकतें भी सेतुसमुद्रम परियोजना को पूरा करने में सक्रिय है। यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय नौकाओं के लिए खुला नहीं है। दूसरी ओर नया जल मार्ग अंतरराष्ट्रीय नौकाओं को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति देगा, जिससे भारत के सागर तटों की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा।

पर्यावरणविदों ने इस परियोजना पर गंभीर आपत्ति प्रकट की है। कनाडा के सुप्रसिद्ध सुनामी विशेषज्ञ प्रो. मूर्ति ने इस प्रस्तावित जलमार्ग के जरिए केरल में विध्वंस पर गंभीर चिंता जताई है और कहा है कि अगर वर्तमान स्वरूप ही बनाए रखा गया तो भविष्य में आने वाली सुनामी लहरें उसे तबाह कर देंगी। दुर्भाग्य से तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष ने प्रो. मूर्त्ति की इन चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है।' श्रीराम सेतु को बचाते हुए मार्ग निर्धारित करने से यह सेतु भविष्य में भी सुनामियों के सामने एक दीवार की तरह काम करेगा। पिछली सुनामी में इस सेतु ने दक्षिणी तटों पर सुनामी का प्रकोप काफी हद तक कम कर दिया था, लेकिन संप्रग

सरकार देश की बहुसंख्यक जनता के हितों पर कुठाराघात करते हुए श्रीराम सेतु को तोड़ने पर आमादा है। यह घोर अपराध है।

जस्टिस बैनर्जी समिति

हालांकि जस्टिस नानावटी आयोग पहले ही गुजरात में गोधरा-पश्चात् हुई हिंसा की जांच कर रहा था, परन्तु संकीर्ण राजनीति पर चलते हुए यूपीए ने इसी घटना पर समानान्तर यूसी बैनर्जी समिति का गठन कर दिया। एक ही घटना के लिए समानान्तर जांच आयोग की स्थापना करना गलत है। यूपीए सरकार का इरादा तब और भी साफ हो गया जब इस समिति ने बिहार के विधानसभा चुनावों के पूर्व तीन ही महीनों में एक 'बनी-बनाई' रिपोर्ट पेश कर दी। रेलमंत्री ने इस विवादास्पद रिपोर्ट का पूरा फायदा उठाया, हालांकि इससे कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को कोई चुनावी फायदा हो नहीं पाया। इस समिति का गठन राजनैतिक तथा चुनावी फायदे के लिए किया गया, यह बात इससे और अधिक सिद्ध हो जाती है कि इस बार भी पांच विधानसभा चुनावों के पूर्व अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी गई और जस्टिस बैनर्जी ने खुलेआम इसके निष्कर्ष लोगों को बतला दिए। संसद में पेश किए जाने से पूर्व श्री बैनर्जी को इस रिपोर्ट की विषय-वस्तु लोगों को बतलाना उनका हक नहीं था। इसे केवल चुनावों में तथाकथित निष्कर्ष बता कर फायदा उठाने के लिए किया गया।

अंततः गुजरात उच्च न्यायालय ने संसद में रिपोर्ट पेश करने पर रोक लगा दी। इसमें यह भी प्रथम दृष्टया बताया गया कि रेल मंत्री को इस समिति का गठन करने का अधिकार नहीं था। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह भी टिप्पणी की कि जांच कमीशन अधिनियम की धारा-३ और रेलवे अधिनियम की धारा ३१६ के अन्तर्गत रेल मंत्रालय को ऐसा कोई पैनल बनाने का अधिकार नहीं था। ८ मार्च २००६ को न्यायालय ने कहा कि ''आयोग ने गुजरात हाईकोर्ट से पहले निष्कर्ष पर पहुंच कर इस विषय पर पहले ही रिपोर्ट पेश करने की विधिगत प्रक्रिया का उल्लघंन किया है।''

कांग्रेस और वामपंथी श्रमिक-विरोधी

यूपीए और इसके वामपंथी सहयोगी कामगारों तथा श्रमिकों का मसीहा होने का दावा करते हैं। २५ जुलाई २००५ को हरियाणा की

नवगठित कांग्रेस सरकार ने मजदूर-समर्थक दावे के साथ बुरी तरह से विश्वासघात कर के दिखा दिया जब उसने गुड़गांव में क्रूर ढंग से बहुराष्ट्रीय कम्पनी के हजारों श्रमिकों को मार-मार कर घायल कर दिया, जिससे जलियांवाला बाग की घटना भी शर्मसार हो गई।

अमरिन्द्र ने खालिस्तान सम्मेलन में भाषण दिया

कनाडा प्रवास के दौरान पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिन्द्र सिंह ने एक सम्मेलन में भाषण दिया जहां मंच के पीछे भारत-विरोधी और पाकिस्तान-समर्थक नारे मोटे- मोटे अक्षरों में लिखे हुए थे। मुख्यमंत्री सरकारी दौरे पर गए हुए थे।

यूपीए द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का अवमूल्यन

अपने शासन के दो वर्ष में यूपीए सरकार ने जिस ढंग से लोकतांत्रिक संस्थानों, मानकों तथा स्तरों को क्षति पहुंचाई है, वैसी क्षति स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी अन्य सरकार ने नहीं पहुंचाई। १९७५ में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाई इमर्जेंसी एक और काला धब्बा बनी रही। इस असैद्धांतिक तथा अवसरवादी गठबंधन का कमजोर और कृत्रिम चरित्र पिछले तीन वर्षों की घटनाओं से पता चल जाता है। न्यूनतम राष्ट्रीय साझा कार्यक्रम कागजी दीवार जैसा है जो दीवार की दरारों को ढकने में विफल रहा है।

राज्यपालों को हटाने का षड्यंत्र

स्थापित प्रक्रिया के खिलाफ जाकर यूपीए ने एनडीए सरकार द्वारा नियुक्त सभी राज्यपालों को हटा दिया। सच तो यह है कि कांग्रेस ने एक सोची समझी चाल के अन्तर्गत ऐसा किया। उसने पुराने राज्यपालों को हटा कर यह प्रयास किया कि ऐसे राज्यपालों को नामित किया जाए जो कांग्रेस के कहे अनुसार ही काम करें। बाद की घटनाओं ने इस बात को सिद्ध भी कर दिया है। गोवा में सरकार द्वारा विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के बाद कुछ ही मिनटों में भाजपा सरकार

को बर्खास्त किया जाना, झारखण्ड में शिबू सोरेन को शपथ दिलाना, जिनके पास कभी बहुमत था ही नहीं और बिहार विधानसभा को भंग करने के उदाहरण हमारे सामने हैं। बाद में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीए सरकार की कार्रवाई को 'असंवैधानिक' ठहराया।

यूपीए ने एनडीए सरकार द्वारा अपने निहित स्वार्थों के कारण विभिन्न बोर्डों तथा कार्पोरेशनों के चेयरमैनों तथा निदेशकों को भी हटा दिया। इनमें से एनसीईआरटी के निदेशक को हटाना मुख्यतः उल्लेखनीय है। कुछ और उदाहरण दें तो उनमें फिल्म सेंसर बोर्ड, बाल फिल्म सोसाइटी, इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडीज के निदेशक आदि के नाम शामिल है। विकलांग लोगों के लाभ के लिए स्थापित कमीशन को भी समाप्त कर दिया गया।

न्यायालयों के प्रति असम्मान

जिस प्रकार से कांग्रेस ने खुलेआम श्री शिबू सोरेन, श्री जय प्रकाश नारायण यादव, श्री शहाबुद्दीन और कई अन्य व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए सरकारी प्रशासन का दुरूपयोग किया है उसे सारे देश ने देखा है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों का विरोध किया है। उच्चतम न्यायालय निर्वाचन आयोग और उच्च न्यायालयों जैसी संवैधानिक संस्थाओं के बारे में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की खुलेआम आलोचनाओं से पूरे देश को आघात पहुंचा है।

गैर संवैधानिक रूप से बिहार विधानसभा भंग

राज्यपाल श्री बूटासिंह की सिफारिश पर मनमोहन सरकार ने बिहार विधानसभा को भंग कर दिया। उनकी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए ठीक आधी रात को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और सिफारिश को रूस के सरकारी दौरे पर गए राष्ट्रपति को तुरंत अपनी स्वीकृति करने के लिए फैक्स किया गया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से बात की और उनकी स्वीकृति प्राप्त कर ली तथा इस बारे में सवेरे साढ़े तीन बजे अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके पीछे एकमात्र प्रयोजन इतना था कि श्री नीतिश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश न कर सके। ये सब कुछ उनके सुप्रीम लीडर की हिदायत के अनुसार किया गया। पटना में आम लोगों ने हताश होकर

कहा कि ''यह राष्ट्रपति राज नहीं बल्कि बिहार में राबड़ीपति राज है''

उच्चतम न्यायालय ने मनमोहन सरकार के इस निर्णय को ''असंवैधानिक करार दिया'' और यूपीए सरकार के कामकाज पर भर्त्सनापूर्ण टिप्पणी दी कि क्योंकि केन्द्रीय मंत्रिपरिषद राज्यपाल की रिपोर्ट से हुए गलत कार्यों से अपने को मुक्त नहीं कर सकती है, राज्यपाल की रिपोर्ट पर विचार करना उसकी ड्यूटी थी। वह राज्यपाल द्वारा पेश रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं थी। इसके बाद भी केन्द्र सरकार ने राज्यपाल को चलता नहीं किया, बल्कि बिहार में लोकतंत्र और संविधान के हत्यारे को उनका अपना पद छोड़ने से पहले गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने दिया गया।

सोनिया गांधी के त्याग का ड्रामा

कांग्रेस पार्टी के पास गठबंधन में ५४३ लोकसभा सीटों में से मात्र १४३ सीटें (मात्र भाजपा से ७ अधिक सीटें) होने पर भी वह २००४ के आम चुनावों में भारी बहुमत होने का दावा करती है। वह खुद ही अपने घमण्ड का शिकार हो गई। सत्ता उसके सिर पर चढ़कर बोल रही हैं। इसकी सुप्रीम लीडर श्रीमती सोनिया गांधी का दर्प फूले नहीं समा रहा है और साथ ही कांग्रेसजनों की उसके प्रति गुलामी का भी कहीं कोई अन्त नहीं है।

लोकसभा चुनाव के पश्चात् प्रधानमंत्री न बनने की विवशता को स्वयं सोनिया गांधी ही जानती हैं परन्तु तथाकथित अपने आप को 'महान त्याग की मूर्ति' बताने वाली सोनिया गांधी के चापलूसों ने तो उन्हें भगवान गौतम बुद्ध तथा महात्मा गांधी की संज्ञा दे दी, जबकि सच यह है कि श्रीमती गांधी ने इस प्रकार 'त्याग की मूर्ति' का ड्रामा कर वह यूपीए सरकार की सुपर प्रधानमंत्री बन गई। श्रीमती गांधी ने एक तरफ तो 'त्याग की मूर्ति' का दावा किया, परन्तु वह दो हफ्ते भी अपने इस 'त्याग को कायम नहीं रख सकीं। उन्होंने एक संविधानेत्तर अधिकार प्राप्त करने का मौका ढूंढ कर राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसी) की चेयरपर्सन बनकर स्वयं को कैबिनेट मंत्री दर्जे की सभी सुविधाओं और विशेषाधिकारों को प्राप्त कर लिया। इस पद को प्रधानमंत्री कार्यालय का हिस्सा बना लिया। अब वह बिना गोपनीयता की शपथ लिए भी सभी सरकारी फाइलों और दस्तावेजों को देख

सकती हैं। एनएसी की सलाह को प्रधानमंत्री को दिया गया निर्देश समझा जाता है। इसका एक और लाभ है कि उनके पास पूरे अधिकार रहते हैं, जबकि उन पर जिम्मेदारी कोई नहीं रहती है।

एनएसी- संसदीय व्यवस्था का अभिशाप

प्रधानमंत्री यह समझा नहीं पाए हैं कि उनकी सरकार को अलग सलाहकार समिति की जरूरत क्यों पड़ी है, जबकि योजना आयोग के पास भी ठीक ऐसे ही अधिकार हैं। इसके अलावा प्रत्येक मंत्रालय को अपने सलाहकार नियुक्त करने की सुविधा रहती है। वास्तव में यूपीए के विभिन्न मंत्रालयों ने सलाह देने के लिए ५२ समितियां बनाकर खुद एक रिकार्ड स्थापित कर लिया है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री के पास व्यापार, उद्योग और अर्थव्यवस्था की सलाहकार समितियां हैं। स्पष्ट है कि इसके पीछे एनएसी का गठन सरकार को किसी सलाह देने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि यह तो एक व्यक्ति को वास्तविक अधिकार देने का छुपा हुआ रूप है, जिसे अन्यथा 'त्याग' की मूर्ति का चोला पहनाया जाता है।

क्या प्रधानमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद और अन्य संवैधानिक संस्थाओं से सलाह नहीं मिलती है कि उन्हें इस प्रकार के संविधानेतर अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है और उस व्यक्ति को नामित करने का ढोंग रचा जाता है और वह भी श्रीमती गांधी ही उसकी अध्यक्ष होती हैं?

बिना जिम्मेदारी लिए सत्ता प्राप्ति की फिराक में

श्रीमती सोनिया गांधी के पास अपार राजनैतिक शक्ति और अधिकार प्राप्त है, परन्तु बुनियादी अंतर यह है कि वह किसी के प्रति भी, यहां तक कि संसद के प्रति भी उत्तरदायी और जवाबदेह नहीं है।

लाभ का पद

कांग्रेस पार्टी की ओर से एक कांग्रेसी नेता ने उत्तर प्रदेश से राज्य सभा की सांसद श्रीमती जया बच्चन के खिलाफ कानून का उल्लंघन करने का मामला उठाया क्योंकि श्रीमती बच्चन ने उत्तर प्रदेश बाल फिल्म सोसाइटी के चेयरपर्सन का पद सम्भाला हुआ था। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि बच्चन और गांधी परिवारों के अच्छे संबंध नहीं हैं। निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर भारत के राष्ट्रपति ने राज्य सभा

से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। परन्तु यह कदम खुद कांग्रेस पर उलटा जा पड़ा। देखा गया कि खुद उनकी अपनी नेता गलत रास्ते पर हैं क्योंकि सांसद होते हुए श्रीमती सोनिया गांधी प्रधानमंत्री से भी ऊंचे पद अर्थात राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरपर्सन बनी हुई हैं और उन्हें कैबिनेट का दर्जा प्राप्त हैं और वे अतिरिक्त लाभ व विशेषाधिकार प्राप्त कर रही हैं। सभी तरफ से घिरने के बाद और कोई रास्ता न मिलने के बाद कांग्रेसनीत यूपीए ने अचानक सबको हैरानी में डाल कर २२ मार्च को दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया हालांकि कार्यक्रम के अनुसार दोनों सदनों को एक अंतराल के बाद १० मई को फिर से इकट्ठा होना था इसके पीछे कांग्रेस अध्यक्ष को अयोग्यता से बचाने के लिए अध्यादेश लाना था क्योंकि जब संसद का सदन सत्र में होता है तो अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है। मीडिया में इस बारे में खबरें छपती रहीं।

भाजपानीत एनडीए और यूपीए के समर्थक वामपंथी पार्टियों ने भी इस कदम का जोरदार विरोध किया। भयाक्रांत श्रीमती गांधी ने इस स्थिति से बचने के लिए एक और त्याग करने का ड्रामा प्रस्तुत करने का संसद और एनएसी के पद से इस्तीफा दे दिया। यदि कांग्रेस और श्रीमती सोनिया गांधी महसूस करती थी कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो उन्हें संसद एवं निर्वाचन आयोग का सामना करना चाहिए था और उन्हें अपना मामला भारत के राष्ट्रपति के सामने रखना चाहिए था। उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उनके पास विधि-सम्मत नैतिक मामला था ही नहीं। वो इतना डर गई थी कि रायबरेली लोकसभा के उप-चुनाव के कार्यक्रम की भी घोषणा कर डाली। उन्होंने उपचुनावों में अपने नामांकन पत्र को बचाने के लिए हर पद से त्यागपत्र दे दिया ताकि इस बारे में कोई तकनीकी आधार उनके आड़े न आ जाएं।

संसदीय (अयोग्यता निवारण) संशोधन विधेयक, २००६ को, जिसमें १९५९ विधेयक में संशोधन किया गया है, लोक सभा में पारित किया गया जिसका एनडीए ने विरोध किया। इस विधेयक में ५६ पदों को लाभ के पद के अंतर्गत विचार किए जाने से छूट प्रदान कर दी गई है और इन पदों में राष्ट्रीय सलाह परिषद के चेयरपर्सन को भी शामिल किया गया है। सदन से विधेयक में एक सरकारी संशोधन को

शामिल कर लाभ के पद से बाहर रखने के लिए १० और पदों को भी स्वीकार कर लिया, जिनमें केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान तथा मायावती द्वारा क्रमशः दलित सेना और बहुजन समाज फाऊण्डेशन के अध्यक्षों के पद भी शामिल हैं।

लोगों का कांग्रेस से मोह भंग

पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु, पांडिचेरी, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश के हाल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मतदाताओं के हाथों बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। श्रीमती गांधी ने अपने त्याग की बात हर राज्य में जाकर कही परन्तु तथाकथित त्याग नौटंकी कहीं काम नहीं कर सकी और लोग बेवकूफ नहीं बने। कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों ने अलग-अलग भाषाएं बोली चुनाव प्रचार के दौरान जहां सरकार ने वामपंथी नेताओं को अपना सम्माननीय सहयोगी बताया तो श्रीमती सोनिया गांधी ने उन पर जबरदस्त हमला किया। मतदाताओं ने उनकी चाल समझ ली। कांग्रेसनीत यूडीएफ केरल में हार गई और असम कांग्रेस, जिसे पिछले चुनावों में भारी बहुमत मिला था वह भी मात्र सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खड़ी रह गई और उसे दूसरे दलों पर निर्भर रहना पड़ा। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में कांग्रेस सबसे ज्यादा घाटे में रही। प्रधानमंत्री और श्रीमती गांधी ने तमिलनाडु की विजय को यूपीए की विजय बताने की भरसक कोशिश की है, परन्तु उनके सभी दल इससे कतई इत्तफाक नहीं रखते हैं।

हालांकि पिछले महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन हाल में हुए स्थानीय चुनावों में कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई और भाजपा-शिव सेना गठबंधन ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों पर कब्जा कर लिया। भाजपा-शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ के मेयर पद को कांग्रेस से छीना। यही नहीं, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के स्थानीय चुनावों में काफी बढ़-चढ़ कर दावे किए थे, लेकिन चुनाव परिणाम ठीक विपरीत आए। यूपी के मेयर चुनावों में भाजपा ने १२ में से ८ सीट जीतीं। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी, श्रीमति सोनिया गांधी के क्षेत्र रायबरेली व श्री राहुल गांधी के क्षेत्र अमेटी के प्रतिष्ठापरक स्थानीय चुनाव भी न जीत सकी। हाल ही में हुए दिल्ली के नगर निगम चुनाव में भाजपा २७२ सीटों मे १६४

सीटे जीतकर टाउनहाल पर अपना परचम लहराया। सच तो यह है कि फरवरी २००५ से ही लोगों का यूपीए से मोह भंग होना शुरू हो गया था। यूपीए बिहार में सत्ता से बाहर हुई, जबकि यूपीए ने राज्यपाल पद का जमकर दुरूपयोग किया था।

पंजाब और उत्तराखंड में जहां कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता संभाला था, पिछले चुनावों में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि कांग्रेस के तमाम मंत्री चुनाव हार गए। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष भी चुनाव हार गए। शिरोमणि अकाली दल और भाजपा गठबंधन ६७ सीटों के साथ बहुमत में आया। भाजपा ने २३ सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें १६ सीटें जीतीं। उत्तराखंड में भाजपा ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करते हुए पूर्ण बहुमत हासिल किया।

प्रधानमंत्री का अपनी सरकार पर कोई वश नहीं

हमारी संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री को सरकार का सर्वोपरि माना जाता है। जिसके पास राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों अधिकार होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होता है, जैसे कि वह किसी भारतीय कम्पनी का कोई प्रमुख निदेशक हो, वह अपनी राजनैतिक अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंप सकता है। आज देश पर एक ऐसी असंवैधानिक व्यवस्था लाद दी गई है कि प्रधानमंत्री के पास अपनी ही सरकार को नियंत्रण में रखने के अधिकार नहीं है और वह हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद की बजाय अपने बॉस के प्रति अधिक उत्तरदायी बना रहता है।

डा. मनमोहन सिंह की एक और दुर्बलता है कि उसके मंत्रीगण किसी महत्वपूर्ण नीतिगत मामले की घोषणा करने से पहले उन्हें विश्वास में नहीं लेते हैं। बहुत से ऐसे अवसर आए हैं कि प्रधानमंत्री के लिए कोई नीति उनके पास एक खबर बनकर पहुंची है जो उन्हें समाचार पत्रों अथवा इलैक्ट्रोनिक मीडिया से मिलती है। इसी कारण उन्हें अपने मंत्रियों को लिखना पड़ा कि वे इस प्रकार की सभी नीतिगत घोषणाओं के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से अपना सम्पर्क बनाए रखें।

विपक्ष की आवाज को दबाना

संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है जितनी सत्ता में सरकार की हुआ करती है। यूपीए ने विपक्ष पर बड़े योजनाबद्ध ढंग से प्रहार किया है। सत्ता में आने के शुरू दिन से ही इस सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देश के अनुसार संसद में विपक्ष को नष्ट करने की कोशिश की है। संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया परिदृश्य पैदा हो गया है जिसमें सत्तारूढ़ पक्ष लगातार विपक्ष एनडीए को अपने प्रहार का निशाना बनाए हुए है जबकि होना यह चाहिए कि विपक्ष को सरकार पर निशाना साधना चाहिए। यह बात जानने योग्य है कि पिछली बार भी एक सरकार ने इसी प्रकार १९७५ में विपक्ष को अपनी असहिष्णुता का निशाना बनाया था और उस समय आपात्काल की घोषणा कर दी गई थी।

कैबिनेट के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का उल्लंघन

पिछले तीन वर्षों से मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को बड़े कारगर ढंग से नष्ट किया जा रहा है। सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने खुलेआम एक दूसरे की भर्त्सना की है और उनके कार्यों की निंदा की है। सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की लड़ाई बिहार चुनाव में लालू प्रसाद यादव और श्री रामविलास पासवान आज भी हमारे मन में ताजा है।

जब बिहार में त्रिशंकु विधानसभा होने के कारण यूपीए सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय लिया तो श्री लालू प्रसाद और उनके राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा से अनुपस्थित रहे जबकि श्री लालू प्रसाद और उनकी पार्टी इस निर्णय में शामिल थे। नैतिकता की मांग थी कि अनुपस्थित रहने से पहले या तो श्री लालू प्रसाद त्यागपत्र देते या प्रधानमंत्री उन्हें सदन से अनुपस्थित रहने के लिए बर्खास्त करते।

योजनाओं और संस्थाओं के नामों पर एक खानदान का कब्जा

यूपीए सरकार ने बड़े शर्मनाक ढंग से एक खानदानी कांग्रेसी परिवार की भूख को संतुष्ट करने के लिए योजनाओं और स्थानों के नामों को बदल डाला। इस सरकार ने हर चीज, हर योजना, हर संस्था

का नाम परिवार के सदस्यों के नाम पर रख दिया है। कुछ योजनाओं और कुछ संस्थाओं के नामों में जिस एक परिवार के सदस्यों का नाम दिया गया है। उसके कुछ एक उदाहरण नीचे प्रस्तुत है–

१. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना।
२. राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन
३. राजीव गांधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना
४. राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना
५. सुनामी प्रभावित क्षेत्रों के लिए राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज
६. राजीव गांधी भवन (जहां–जहां नागरिक उड़ान मंत्रालय स्थित हैं)
७. राजीव चौक (नई दिल्ली)
८. राजीव गांधी खेलरत्न अवार्ड
९. राजीव गांधी अभ्युदय योजना (आंध्र प्रदेश)
१०. राजीव गांधी शिक्षा नगर (हरियाणा)
११. राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजना (महाराष्ट्र)
१२. राजीव गांधी रूरल हाउसिंग कार्पोरेशन (कर्नाटक)
१३. राजीव गांधी आवास योजना (हिमाचल प्रदेश)
१४. राजीव गांधी सेंटर फार बायो टेक्नोलाजी (केरल)
१५. राजीव गांधी अल्पाहार योजना (पांडिचेरी)
१६. राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (हैदराबाद) –इससे पहले इसका नाम स्वर्गीय श्री एनटी रामाराव के नाम पर था.... आदि।

शासन का अपराधीकरण

पहली बार हमारे लोकतंत्र के इतिहास में विख्यात आपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों को भारत सरकार के मंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। आज भी इन मंत्रियों के खिलाफ हत्या, बलात्कार, डकैती और लूटखसोट जैसे गम्भीर आरोप के मामले विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं। श्री लालू प्रसाद और कुछ अन्य मंत्रियों के खिलाफ गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, विशेष रूप से श्री लालू प्रसाद को न केवल सीबीआई ने, बल्कि एक के बाद एक कई मामलों में,

आरोप पत्र जारी किया है। कई न्यायालयों में हुई सुनवाई के बाद ये आरोप भी तय हो गए हैं। क्या किसी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा ४२० के अन्तर्गत आरोप लगने पर उसके हवाले रेलवे का खजाना सौंपा जा सकता है? परन्तु प्रधानमंत्री एक लाचार दर्शक बने हुए हैं।

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध

यूपीए के सत्तारूढ़ होने के बाद महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे है। विशेष रूप से गाड़ियों तथा देश की देश की राजधानी में बलात्कार तथा आपराधिक घटनाएं जिस प्रकार बढ़ रहीं है, वे निश्चित ही चिंता का विषय है।

मजहबी आधार पर देश के विभाजन का प्रयास

अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक विभाजन

यूपीए ने देश की शिक्षा पद्धति में बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक विभाजन की दीवार को चौड़ा करने का गहन प्रयास किया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुस्लिमों के लिए ५० प्रतिशत आरक्षण का निर्णय एकदम साम्प्रदायिक निर्णय है।

भाजपा अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कारगर सामाजिक उपाय की हामी है। किन्तु इस उत्कृष्ट उद्देश्य की पूर्ति मानव संसाधन मंत्रालय की बिना सोचे समझे निर्णयों से नहीं हो सकती है। इससे केवल उसका उद्देश्य चुनावों में कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यकों के वोट हासिल करना है। कांग्रेस नेतृत्व इस प्रकार की विभाजनकारी राजनीति के दीर्घकालीन परिणामों से पूरी तरह उदासीन है।

प्रधानमंत्री का साम्प्रदायिक बयान

कांग्रेस के अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देते हुए

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय विकास परिषद में यहां तक कह दिया कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक समुदायों और विशेषकर मुस्लिम समुदाय का है। यदि देश के संसाधनों पर किसी का पहला हक बनता है तो गरीबों का बनता है, अनुसूचित जनजाति के लोगों का बनता है, दलितों का बनता है। परन्तु केन्द्र सरकार की नजर में निर्धन, वनवासी और दलित से अधिक महत्व मुस्लिम समुदाय दिखाई पड़ता है। पूरे समुदाय को सांप्रदायिक आधार पर सुविधा, आरक्षण या पहला हक देने की बात करना असंवैधानिक है। ऐसे प्रयासों के द्वारा यू.पी.ए. सरकार मुस्लिम समुदाय को राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग-अलग रखने का प्रयास कर रही है।

राहुल की राजसी सोच

हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव के दौरान चुनावी रोड शो में कांग्रेस के राजकुमार श्री राहुल गांधी की राजसी सोच उभर कर सामने आई। रोड शो के दौरान उन्होंने कहा कि यदि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति सत्ता में रहा होता तो वर्ष १९९२ में बाबरी मस्जिद ढहने की घटना नहीं होती। उनके बयान से तो यही लगता है कि वह नेहरू-गांधी परिवार की राजसी सोच के शिकार हैं और वे गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री और पी वी नरसिंहराव को कांग्रेस शासन का हिस्सा नहीं मानते। दरअसल, श्री राहुल का बयान वोट की राजनीति से प्रेरित था और यह हिन्दू विरोधी बयान है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस का युवा व्यक्ति भी मुस्लिमों के तुष्टिकरण के लिए कितने निम्न स्तर पर जा सकता है। राहुल को शायद याद नहीं कि इन्हीं के परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने १९४९ में बाबरी मस्जिद में नमाज के लिए मुसलमानों के प्रवेश के लिए प्रतिबंध लगाया था और बाद में उनके पिता राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में मंदिर के द्वार पूजा के लिए खोल दिए गए थे।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का विभाजन बांग्लादेश का निर्माण नेहरू-गांधी परिवार के कारण हुआ। इस वजह से भारत-पाकिस्तान राजनयिक संबंधों पर गहरा असर पड़ा। सच तो यह

है कि श्री राहुल का यह बयान अहंकार से प्रेरित है और यह लोकतंत्र के लिए संकट का संकेत है।

राष्ट्रगीत वंदेमातरम् का अपमान

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने वंदेमातरम् राष्ट्रगीत शताब्दी वर्ष के अवसर पर राज्य सरकारों से ७ सितंबर, २००६ को स्कूलों में वंदेमातरम् गीत गाये जाने का निर्देश दिया। इसका देश के कुछ मुस्लिम समुदाय के नेताओं और सेकुलर बुद्धिजीवियों ने विरोध किया। तथाकथित मुस्लिम नेताओं एवं अल्पसंख्यक समुदाय की वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए अर्जुन सिंह ने अपने आदेश से पलटते हुए कहा कि वंदेमातरम् को गाने के लिए किसी प्रकार की अनिवार्यता नहीं है। कांग्रेस एक बार फिर अपने ही जाल में फंस गई। उसके अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का एक और नायाब उदाहरण तब सामने आया जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राष्ट्रगीत वंदेमातरम् के सौ वर्ष पूरा होने के मौके पर गत ७ सितंबर को पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वंदेमातरम् समारोह समिति के अध्यक्ष भी थे।

अल्पसंख्यकों के लिए पृथक ऋण व्यवस्था

अल्पसंख्यक वोट बैंक को मजबूत करने के चक्कर में संप्रग सरकार धर्म के नाम पर समाज में जहर घोलने का काम कर रही है। संप्रग राज में जल्द ही ऐसा समय आने वाला है जब बैंकों को किसी व्यक्ति को उधार देने के लिए चैक लिखकर देना होगा तो उसे जानना होगा कि उसका धर्म क्या है? सरकार ने इण्डियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) से कहा है कि वह इस बात पर विचार करे कि वे जितना ऋण देती हैं, उसका कुछ हिस्सा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अलग से रख लिया जाए। यह हिस्सा बैंकिंग सेक्टर द्वारा दिए जाने वाले ऋण का लगभग ६ प्रतिशत की ऊंचाई तक जा पहुंचेगा। वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग से अपने ६ जनवरी के पत्र में आईबीए से कहा है कि वह इस प्रस्ताव पर विचार करे कि क्या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए प्राथमिक सेक्टर में १५ प्रतिशत ऋण अलग से रखा जा सकता है?

सच्चर समिति : मजहबी आरक्षण की वकालत

केन्द्र सरकार ने मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए जस्टिस राजेन्द्र सच्चर के नेतृत्व में समिति का गठन किया। राजेन्द्र सच्चर समिति की सिफारिशें 'मजहबी आधार पर आरक्षण' प्रदान करने वाली है जिन्हें देखकर १९०६ में मुस्लिम लीग की याद आ जाती है, जिसके कारण देश का विभाजन हुआ। सच्चर समिति की रिपोर्ट विभाजनकारी है और पूरी तरह से पूर्वाग्रहों से भरी पड़ी है। यह विकृत दृष्टिकोण को प्रकट करती है। समिति की सारी कवायद केवल यह साबित करने की रही कि मुस्लिम समाज हर क्षेत्र में बहुत पिछड़ा है। यदि मुस्लिम समुदाय की आज आजादी के ५९ वर्ष बाद ये स्थिति है तो इसके लिए क्या वे ही लोग जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने इन ५९ में से ५३ वर्षों तक देश में शासन किया।

इमराना फतवा

कुछ मुस्लिम संगठन, जैसे देवबंद मुस्लिम संस्था समानान्तर न्याय व्यवस्था चला रहें हैं। जो संविधान के अंतर्गत लागू नहीं होती है। दुर्भाग्य से इमराना का बलात्कार उसके अपने ससुर ने किया था। इस पर निर्णय दिया गया कि उसके पति से उसका विवाह भंग हो गया है और इमराना को अपने पति को अपना बेटा स्वीकार करना होगा। यूपीए सरकार इस अमानवीय फतवे पर कोई ध्यान नहीं दिया और कोई सुधार नहीं किया दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस अध्यक्ष श्री सलमान खुर्शीद ने इस फतवे का समर्थन किया। यूपीए सरकार कुछ समुदायों के पर्सनल लॉ के नाम पर २१वीं शताब्दी में मुस्लिम महिलाओं का दोहन करने पर लगी हुई है।

मदानी की रिहाई- क्या ये सचमुच सेक्युलर है?

कांग्रेस, यूपीए के सहयोगी दल और वामपंथी पार्टियां अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण के मामले में एक दूसरे से होड़ लगाने में जुटी हैं। यह बात फिर केरल की कांग्रेसनीत गठबंधन सरकार और वामपंथियों वाले गठबंधन से सिद्ध हो जाती हैं। केरल में कांग्रेसनीत यूडीएफ ने १६ मार्च २००६ को विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें खौफनाक आतंकवादी अब्दुल नासर मदानी की रिहाई का प्रस्ताव किया गया है जबकि उस पर बम विस्फोट अभियुक्तों को शरण देने

के गम्भीर आरोप रहे हैं। आपको याद होगा कि फरवरी १९९८ में एक चुनाव रैली में कोयम्बटूर में ओमा बाबू उर्फ मजीद तथा अन्य अभियुक्तों ने बम विस्फोट किए थे, जिसमें ५९ लोगों की मृत्यु हो गई थी और २०० निर्दोष लोग विकलांग हो गए थे। ऐसे लोगों को पनाह देने वाले मदानी थे। इसके अलावा भी उनका सम्पर्क पाकिस्तान के आईएसआई एजेण्टों से था जो अल उम्मा कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देते थे। किन्तु विधानसभा चुनावों को नजर में रखते हुए सत्तारुढ़ कांग्रेस पार्टी और विपक्षी वामपंथियों ने मुस्लिम मतदाताओं की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से होड़ लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। आतंकवाद से लड़ने वाले इन यूपीए और वामपंथियों के सेकुलरिज्म की ईमानदारी के क्या कहने? क्या इसे ही सेक्युलरिज्म कहा जाता है?

धार्मिक भावनाओं को आहत करना

किसी को भी चाहे वो कितने उंचे पद पर या नीचे के पद हों किसी के मजहब की भावनाओं को आहत करने का हक नहीं है। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि जब विख्यात पेंटर एमएफ हुसैन हिन्दू देवी देवताओं और भारत माता के नग्न चित्र बना कर हिन्दू भावनाओं को आहत करते हैं। तो हमारे बहुत से सेक्युलरवादी हुसैन की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के नाम पर चुप रहना पसंद करते हैं परन्तु जब कोई अपमानजनक मोहम्मद साहब का कार्टून डेनमार्क में प्रकाशित होता है और इस समुदाय के लोग आक्रोश में आ जाते हैं तो यूपीए, वामपंथी दलों के यही सेक्युलरवादी चिंता से भर जाते हैं।

एक वरिष्ठ पत्रकार 'आलोक तोमर' को अपनी मैग्जीन में अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को आहत करने के लिए इन कार्टूनों को प्रकाशित करने के वास्ते गिरफ्तार कर लिया गया। परन्तु अभी तक सेक्युलर यूपीए सरकार ने हमारे इस महान हुसैन के खिलाफ अपनी पेंटिंग में हिन्दू भावनाओं को आहत करने के लिए कुछ नहीं किया। दो अलग-अलग समुदायों के लिए दो अलग-अलग कानून बनाए प्रतीत होते हैं।

धर्म आधारित आरक्षण

केवल वोट बैंक राजनीति के कारण आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करते हुए मजहब के आधार पर केवल

मुस्लिमों के लिए सरकारी नौकरियों में ५ प्रतिशत सीटों का आरक्षण कर दिया। भाजपा ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उच्च न्यायालय ने मजहब आधारित आरक्षण को 'असंवैधानिक' करार दे दिया, फिर भी कांग्रेस संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ उपाए ढूंढने में लगी हुई है। कांग्रेस फिर अपनी युगों पुरानी अल्पसंख्यक वोट बैंक राजनीति पर लौट आई है। बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक विभाजन करके सरकार सामाजिक कट्टरवाद को जन्म दे रही है।

तमिलनाडु सरकार द्वारा मुस्लिमों और ईसाइयों को आरक्षण

तमिलनाडु सरकार ने शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में मुस्लिम और ईसाई समुदाय को आरक्षण देने की घोषणा की, जो समाज को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश है। यह कार्य न केवल गैरसंवैधानिक है, बल्कि धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ भी है। संविधान सभा में बहस के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि धार्मिक आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा।

दुर्भाग्य की बात है कि यह सब कुछ वोट बैंक को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए घातक है। सच तो यह है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण धर्मान्तरण को बढ़ावा देता है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में साम्प्रदायिक आरक्षण

सेक्युलेरिज्म की आड़ में यूपीए के मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में ५० प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय न मानते हुए इसे असंवैधानिक करार दे दिया। फिर भी, सरकार उच्चतम न्यायालय पहुंच गई है। हालांकि यह मामला न्यायाधीन है, फिर भी श्री अर्जुन सिंह ने कहना जारी रखा है कि वह न्यायालय के आदेश के बाद भी अलीगढ़ मुस्लिम विशविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा दिलाने के लिए कृतबद्ध हैं।

कांग्रेस का 'तथाकथित सेक्युलर' चेहरा

हम यहां दो उदाहरण दे रहे हैं जिनमें कांग्रेस का वह सेक्युलर चेहरा सामने आ जाता है, जिसे कांग्रेस ने भारत को जाति और धर्म

के आधार पर बांटाः

१. अक्तूबर २००५ में बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस ने धर्म और जाति के आधार पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। यह सूची इण्डियन एक्सप्रेस सहित सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। इस पर कांग्रेस की प्रवक्ता श्रीमती अम्बिका सोनी के हस्ताक्षर थे।

२. यूपीए द्वारा गठित जस्टिस राजेन्द्र सच्चर समिति ने हमारी हथियारबंद सेना से रक्षा सेवाओं में सभी मुस्लिमों की संख्या व सूची देने के लिए कहा।

कांग्रेस तहलका और ''ताबूत'' की सच्चाई से भयाक्रांत

सरकार ने फूकन कमीशन को अस्वीकार करने के पीछे बताए गए कारणों में कहा है कि कमीशन की रिपोर्ट अधूरी है। इससे बढ़कर कोई और बेईमानी भरा स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है। रिपोर्ट केवल इसलिए अधूरी मानी गई क्योंकि सरकार आयोग को अपना काम पूरा किए बिना बंद कर देना चाहती थी।

यही बात तथाकथित ताबूत घोटाले के बारे में कांग्रेस पार्टी के रूख को दर्शाता है। चौदहवीं लोकसभा के चुनाव प्रचार के लगभग हर भाषण में श्रीमती सोनिया गांधी ने पूर्व रक्षामंत्री और एनडीए के संयोजक श्री जॉर्ज फर्नांडिस पर आरोप लगाया था कि जार्ज ने हमारे शहीदों के ताबूतों की खरीद पर धन कमाया है। किन्तु यह आरोप शपथपत्र में, जो कि रक्षा मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय को दिया, पूरी तरह से निराधार पाया गया।

फूकन कमीशन रिपोर्ट और रक्षा मंत्रालय द्वारा दो विरोधाभासी शपथपत्रों के इन दो प्रकरणों से स्पष्ट है कि श्रीमती गांधी के इच्छानुसार ही यूपीए सरकार को चलाया जा रहा है। यूपीए सरकार के लिए यह बहुत असंतोषजनक रहा जब सीबीआई ने बाद में इस मामले में कोई गलत काम न करने के लिए श्री फर्नांडिस को बरी कर दिया।

सीएजी रिपोर्टों का राजनीतिकरण

सीएजी की अनेक रिपोर्टें पश्चिम बंगाल में सीपीएम के शासन में धूल चाट रही है। यहां तक की उन्हें वर्षों से विधानसभा में भी नहीं रखा गया है। स्पष्ट है कि वामपंथी पार्टियां पश्चिम बंगाल में एक

सिद्धांत पर चलती हैं तो दिल्ली में उनका आचरण एकदम दूसरा ही होता है।

केन्द्र राज्य सम्बंध - बद से बदतर

गत तीन वर्षों में यूपीए सरकार की कार्यवाहियों से साबित हो गया है कि वह फेड्रलिज्म (परिसंघवाद) में विश्वास नहीं करती हैं। सरकार ने गैर-कांग्रेसी, गैर-यूपीए राज्य सरकारों और विशेष रूप से एनडीए द्वारा संचालित सरकारों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है।

श्री नरेन्द्र मोदी को विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं ने देश का नम्बर वन सफल मुख्यमंत्री स्वीकार किया है, जिनमें 'इण्डिया टुडे' और 'राजीव गांधी फाऊण्डेशन' भी शामिल है। एक प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी पत्रिका ने गुजरात को 'Data quest. E Governance Award' तक २००६ से सम्मानित भी किया है। फिर भी यूपीए भाजपा को परेशान करने का कोई अवसर चूकती नहीं है और इस प्रकार वह राज्य की प्रगति में बाधा बनती रहती है।

यही बात छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश झारखण्ड और उत्तराखंड राज्यों पर भी ठीक उतरती है। सभी राज्य असाधारण रूप से प्रगति कर रहे हैं। राजस्थान ने विभिन्न कल्याणकारी परियोजना में सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है, जिसमें रोजगार गारण्टी विधेयक को कार्यान्वयन करने का काम भी शामिल है। छत्तीसगढ़ और झारखण्ड ने विकास में नए मील के पत्थर स्थापित किए हैं। परन्तु इन सभी राज्यों के पास विकास के लिए धन की कमी है और उसका एकमात्र कारण यूपीए की संकीर्ण राजनैतिक सोच है।

शिक्षा का राजनीतिकरण

मानव संसाधन विकास मंत्री ने मतदाताओं के एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र को प्रसन्न करने के लिए पाठ्य पुस्तकों के डिटोक्सीफाई करने के नाम पर इतिहास तथा भारतीय संस्कृति के तथ्यों से खिलवाड़ किया।

यूपीए सरकार शिक्षा का राजनीतिकरण कर देश का भविष्य चौपट करने पर तुली हुई है। ऐसा अक्सर होता है कि जब भी कांग्रेस और वामपंथी पार्टी एक होते हैं तो सबसे पहले वे शिक्षा व्यवस्था पर निशाना साधते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र में वामपंथियों और कांग्रेसियों ने सांठगांठ करके पाठ्य सामग्री को

तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया ताकि भारत में 'राष्ट्रवादी विचार पुष्ट न हो सके। हमें इस बात का गर्व है कि राजग सरकार के शासन मे तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी ने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में शामिल महापुरूषों, समुदायों और धर्म-संस्कृति के बारे में अपमानजनक तथ्यों को पारदर्शितापूर्ण तरीके से हटाया और भारत की गौरवशाली इतिहास को शामिल कराया। इसे देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि अब पुनः राष्ट्रविरोधी पाठ्यपुस्तकों को केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है।

हमारे देश के नौनिहाल अब फिर पढ़ रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान मैदान छोड़कर भाग गया और जयचंद गौरी से युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया। महावीर के अतिरिक्त सभी तीर्थंकर काल्पनिक है। तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपतराय जैसे नेता उग्रवादी तथा आतंकवादी थे। रणजीत सिंह अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैरों की धूल अपनी लंबी सफेद दाढ़ी से झाड़ता था। औरंगजेब जिंदा पीर थे। आज देश के सामने यक्ष प्रश्न है कि देश की युवा पीढ़ी इस तरह का इतिहास पढ़ेगी तो देश का भविष्य निश्चित रूप से अंधकारमय होगा।

बेरोजगार युवाओं के साथ विश्वासघात

यूपीए के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में तुरन्त ही एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम बनाने का वायदा किया गया था जिसमें प्रत्येक ग्रामीण, शहरी गरीब और निम्न मध्यवर्गीय घर के प्रत्येक एक समर्थ व्यक्ति को सौ दिन की गांरटीशुदा रोजगार देने की बात कही गई थी। क्या एक परिवार, जिसमें औसतन ५ सदस्य हों, ६००० हजार रू प्रतिवर्ष की आय पर गुजारा हो सकता है? आखिर वे वर्ष के बाकी समय में क्या करेंगे? शहर के ४ करोड़ शिक्षित बेरोजगारों को इस बिल के लाभों से भी दूर रखा गया है। अबकी बजट में जिले तो बढ़ा दिए पर उसकी तुलना में राशि नहीं बढ़ाई।

भारत निर्माण का ढकोसला

प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर विकास पहल सम्बंधी बिल की शुरूआत करने की घोषणा की है। भारत निर्माण कही जाने वाली योजना के विज्ञापन में कहा गया है कि अगले ४ वर्षों में एक लाख तिहत्तर हजार करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। सच्चाई यह है कि यह कोई नई भारत निर्माण पहल की योजना नहीं है। यह और कुछ नहीं है बल्कि वाजपेयी सरकार द्वारा चलाई गई कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं और वाजपेयी सरकार द्वारा उठाए गए नूतन पहल की योजनाओं को नाम बदलकर नया रूप देने की कोशिश की गई है।

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की उपेक्षा

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास धीमी गति से हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम एकदम पीछे जा पड़ा है। यही बात राष्ट्रीय रेल विकास योजना पर भी लागू होती है, जिसे वाजपेयी सरकार ने शुरू किया था। पिछले तीन वर्षों में कोई विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर योजना शुरू नहीं हुई है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की उपेक्षा

वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना स्वतंत्रता के बाद की सबसे बड़ी योजना थी। यूपीए सरकार ने इसको पर्याप्त रूप में धीमा कर दिया है। एनडीए के शासनकाल में सरकार ने २८०१ किलोमीटर सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाया था। परन्तु पिछले वर्षों में यूपीए सरकार ने मात्र ५०० कि. मी. सड़कों का निर्माण किया।

नदियों को जोड़ने की योजना का परित्याग

नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना भी एनडीए सरकार द्वारा चलाई गई अन्य मूल्यवान योजनाओं की तरह इस सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है और केवल राजनैतिक कारणों से इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

बिजली क्षेत्र के सुधारों का अंधकारमय भविष्य

देश में बिजली की आपूर्ति की स्थिति निरंतर बिगड़ती चली जा

रही है जबकि यह सरकार बिजली अधिनियम में संशोधन पर बहस कर रही है।

कनेक्टिविटी

यह मानते हुए कि भारत के चहुमंखी और तेज विकास के लिए कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए एनडीए सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम चलाया था जिसमें ग्रामीण सड़कों का कार्यक्रम- पीएनजीएसवाई भी शामिल था। अधिकांश स्थलों पर यह कार्य धीमा पड़ गया है। नीतिगत भ्रमों के कारण बंदरगाहों और हवाई अड्डों का निर्माण कार्यक्रम भी पीछे रह गया है इससे आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय विकास बुरी तरह प्रभावित होगा।

जल संसाधन

न्यूनतम साझा कार्यक्रम में वायदा किया गया था कि प्राथमिकता के आधार पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। दुर्भाग्य से सच यह है कि देश में, हर जगह पानी का अकाल पड़ा हुआ है। भारतीयों द्वारा देशभर में जिन नदियों की पूजा की जाती रही है, वे आज यूपीए सरकार के कुशासन के कारण जहरीले पानी का भंडार बन रही हैं। इसके कारण जल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बन गया है।

ऊर्जा क्षेत्र

यूपीए सरकार ने पूरे देश को अंधकार का क्षेत्र बना दिया है। एनडीए सरकार ने विद्युत क्षेत्र में जो सुधार किए थे उन्हें यूपीए सरकार ने रोक दिया है और हर व्यक्ति पर इसका असर दिखाई पड़ता है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में यूपीए सरकार का प्रदर्शन बहुत असंतोषजनक है जिसे हाल की योजना आयोग के आंकड़ों ने भी बताया है। बिजली का उत्पादन बढ़ती मांग के सामने स्थिर बना है। तेल और गैस के उत्पादन की कहानी भी ऐसी ही बद्तर है और तेल आयात पर हमारी निर्भरता बढ़ गयी है। उर्जा क्षेत्र में हमारा प्रदर्शन आर्थिक विकास, रोजगार और जीवन के स्तर को प्रभावित करेगा।

स्वास्थ्य सेवाओं की उपेक्षा

इस समय यूपीए सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत खर्च कर रही है। न्यूनतम राष्ट्रीय साझाा कार्यक्रम में ३ प्रतिशत खर्च करने का फैसला लिया गया था। अभी तक कुछ नहीं

हुआ है। वही एनडीए सरकार के दौरान राज्यस्तर पर ६ एम्स खोलने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

आरक्षण का राजनीतिकरण

आरक्षण के मुद्दे पर यूपीए सरकार न तो ईमानदार दिखती है और न ही गंभीर। यह अपने चुनावी फायदे के लिए छात्रों के हितों और भावनाओं से जानबूझ कर खिलवाड़ कर रही है। इस संवेदनशील मुद्दे पर कई केन्द्रीय मंत्री व्यक्तिगत तौर पर अनावश्यक एवं विवादास्पद बयानबाजी कर छात्र समुदाय के गुस्से को भड़का रहे हैं और उन्हें भविष्य के प्रति सशंकित कर रहे हैं। छात्रों के बीच उपजा संघर्ष और अशांति सरकार के गैर-जिम्मेदाराने रवैये का परिणाम है। यूपीए सरकार इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने से बच रही है एवं समाज में गलतफहमी पैदा कर रही है।

महिला आरक्षण

भाजपानीत एनडीए सरकार के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने महिलाओं को ३३ प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव तीन बार सदन में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तत्कालीन विपक्षियों द्वारा जबर्दस्त विरोध किया गया। यूपीए ने अपने घोषणापत्र में महिलाओं को ३३ प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही। पर तीन वर्षों से कांग्रेसनीत यूपीए निरंतर झुनझुना पकड़ा रही है।

आर्थिक कुप्रबंध

यूपीए सरकार ने सत्ता में आने के बाद वायदा किया था कि वह लोगों को और अधिक रोजगार दिलाएगी, निर्धनता मिटायेगी, कीमतें कम करेंगी और आर्थिक सुधारों में तेजी लायेगी परन्तु वह इस सम्पूर्ण काल में इन क्षेत्रों में कोई विशेष प्रगति करने में विफल रही है। डा. मनमोहन सिंह व उसकी टीम की नीतियों से हमारे आर्थिक सिद्धांत बुरी तरह से बदतर होते चले गए हैं। सोने की कीमत भी नई ऊंचाई

तक पहुंच कर आम आदमी से बाहर हो गई है।

यह अजीब विडंबना है कि जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था ९ फीसदी विकास की दर से बढ़ रही है, वही आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में १९ फीसदी की बढ़ोत्तरी हो रही है। एक ओर मुंबई का संवेदी सूचकांक १४००० अंकों को छू रहा है तो दूसरी तरफ यूपीए सरकार के पिछले तीन साल के दौरान १४००० किसानों ने आत्महत्या की है।

मनमोहन और सीपीएम की नीतियों में अंतर

कम्युनिस्ट पार्टियां हमेशा आर्थिक नीतियों पर हावी रही हैं चाहे सरकारी उपक्रमों में विनिवेश की बात हो, हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण हो, पेंशन फंड अथोरिटी के गठन की बात हो, बैंकिग सेक्टर के पुनर्विन्यास और सरकारी बैंकों के एकीकरण, रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ईपीएफ दर, डब्ल्यूटीओ से सम्बधित जो भी बात हो, हमें कैबिनेट के निर्णयों में अजीब नजारा दिखाई पड़ता है। क्योंकि उन्हें कम्युनिस्टों और विपक्ष के दबाव के कारण ठंडे बस्ते में डालना पड़ जाता है। लाचार प्रधानमंत्री अच्छे अर्थशास्त्र के बारे में भाषण देते हैं परन्तु कम्युनिस्टों के कहने पर उन्हें अपनी नीतियां छोड़नी पड़ जाती हैं। लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आर्थिक सुधारों में विश्वास नहीं किया है। सच तो यह है कि वह हमेशा परमिट और लाईसेंस राज की नीति पर चलती रही है और उसने उद्यमों और संस्थाओं के भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया है। आज वह अपने ही बुने जाल में फंस गई है।

कथनी और करनी में भेद, केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों को जारी रखने में अपनी असमर्थता और भारत के लोगों की छिपी शक्ति का लाभ उठाने में असमर्थता के कारण राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है जिसके कारण भारत के लोगों की छवि खराब हुई है तथा गरीबी के प्रति लड़ाई नहीं लड़ी जा सकी है।

वामपंथियों के गहरे प्रभाव और दखलंदाजी के चलते यूपीए सरकार भेल आदि जैसे सरकारी उद्यमों में विनिवेश के अपने ही निर्णयों को कार्यान्वित नहीं कर पा रही है। इस स्थिति के कारण विदेशी निवेशकों के मन में आशंकाए पैदा हो रही है और देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

खुदरा क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से बेरोजगारी बढेगी

यूपीए ने खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शुरूआत करने का निर्णय लिया है, जो एक ऐसा उपाय होगा जिससे छोटे व्यापारी तथा विक्रेता बेरोजगार हो जाएंगे तथा आम व्यापारी का जीवन दुखी बन कर रह जाएगा। प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार इस उपाय से खुदरा व्यापार में लगे ४ करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इससे यूपीए सरकार के इरादों का पर्दाफाश हो जाता है क्योंकि कहने को तो इसमें बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की बात कही गई है, परन्तु पहले ही रोजगार युक्त लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इससे स्वरोजगार वाले लोगों की संख्या बढ़कर बेरोजगारों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। इस योजना से निम्नलिखित विपरीत प्रभाव पड़ेंगेः-

- इससे छोटे-छोटे स्टोर खत्म हो जाएंगे क्योंकि वे सुपर मार्केट द्वारा दी गई सेवाओं, उनके मानकों से मैच नहीं कर पाएंगे।
- स्पष्ट ही असंगठित क्षेत्रों में भी खुदरा बाजारों का स्थान समाप्त हो जाएगा।
- इससे प्रतिस्पर्धी मूल्यों की शुरूआत होने लगेगी जिससे बहुत से घरेलू दुकानदार समाप्त हो जाएंगे।
- इससे थाईलैण्ड की तरह ही बेरोजगार के अवसर कम हो जाएंगे क्योंकि असंगठित क्षेत्रों में छोटे खुदरा व्यापारियों का स्थान समाप्त हो जाएगा।
- इससे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की रिटेल चेन की पूर्व दिनांकित प्रक्रिया वैध बन जाएगी।
- इससे विदेशी संस्कृति के मानकीकृत रूप को बढ़ावा मिलेगा।
- इससे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आयात बढ़ता जाएगा और वे भारत में अपने उत्पादों का ढेर लगा देंगी।
- क्योंकि रिटेल में बहुत मामूली निवेश की जरूरत होती है, इसलिए विदेशी व्यापारी देश से बाहर अपने लाभ अपने देश को भेजते रहेंगे।

कर का बोझ बढ़ा

अपने पिछले बजट भाषण में वित्तमंत्री ने प्रत्येक को आश्वासन

दिया था कि वह कर का बोझ कम कर रहे हैं जबकि वास्तव में कर का बोझ बढ़ता जा रहा है। इसलिए आज औसत करदाता भौंचक्का है। महिलाएं वरिष्ठ नागरिक, वेतन भोगी कर्मचारी, कार्पोरेट क्षेत्र, सबके सब इस धोखे के प्रति नाराज हैं। नकद निकासी कर और फ्रिंज लाभ कर एक मूर्खतापूर्ण और गलत सोच का नतीजा है।

बचत और पूंजी बाजार

बचत और अर्थव्यवस्था स्थिर पड़ी हुई है क्योंकि दीर्घकालीन बैंक जमा राशियों से भी वास्तविक लाभ का पता नहीं चल पा रहा है। इसका कारण यह है कि सरकार अर्थव्यवस्था की सभी बचतों पर एकाधिकार प्राप्त करती जा रही है। राजकोषीय उत्तरदायित्व में जो समय सीमा ला दी गई हैं उस पर नहीं चला जा रहा है। अर्थव्यवस्था में इस प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता हैं और राजकोषीय बुद्धिमत्ता दिखाना जरूरी है। इससे ही लोगों को बचत करने का प्रोत्साहन मिलेगा।

यूपीए सरकार दावा करती रहती है कि बाजार स्वस्थ हालत में हैं क्योंकि शेयरों की कीमत बढ़ती जा रही है जबकि तथ्य इसके उलट हैं अब स्टॉक मार्किट पूरी तरह से विदेशी संस्थागत निवेशकों के हाथों में है। ये हर भारतीय के लिए चिंता का विषय है इससे भी बढ़कर चिंता का विषय है की भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बात की चेतावनी दी है कि कुछ बेईमान तत्वों द्वारा एफआईआई के माध्यमों से जो फायदा उठाया जा रहा है वह खतरनाक है। यह बात तब भी हो रही है जबकि पिछले स्टाक स्कैम पर गठित जेपीसी ने ऐसे तात्कालिक उपाय करने की सिफारिश की थी कि एफआईआई संस्थाओं को अवैध धन का उपयोग करने से रोका जाए।

कृषि की उपेक्षा

भारत की ६० प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर आधारित है परन्तु जीडीपी में इसका योगदान २० प्रतिशत से थोड़ा सा ही अधिक बना हुआ है। किसानों को सूखे और बाढ़ की दोहरी समस्याओं के साथ जूझना पड़ता है।

ग्रामीण ऋण ढांचा बेजान पड़ा है और सहकारी ग्रामीण बैंकों तथा किसान क्रेडिट कार्डों का यंत्र भी यूपीए सरकार ठीक ढंग से

काम में नहीं ला पाई है ताकि समय पर किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार ऋण दिया जा सके। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और अन्य राज्यों में किसानों ने इस ऋणबोझ के हावी होने के कारण आत्महत्याएं की हैं।

योजना आयोग के अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि खाद्यान्न के लिए राष्ट्रीय बाजार बनाने की जरूरत है ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य प्राप्त हो सके यह दुख की बात है कि इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसके साथ भण्डारीकरण की सुविधाओं के भयंकर अभाव के कारण किसानों के दुखों की कहानी और गहरी होती चली गई है और कृषि उपज की बर्बादी राष्ट्रीय शर्मनाक हालत तक पहुंच गई है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि डब्ल्यूटीओ से हुई बातचीत में यूपीए के प्रतिनिधि ने विश्व बाजारों में हमारे किसानों को बेहतर ढंग से पहुंच दिलाने में कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। हमारे प्रतिनिधि ने हमारे छोटे किसानों को उस प्रकार की सुरक्षा भी नहीं दिला पाई है जिससे हम विश्व में दिए जा रहे इमदादी आयात के हमलों से अपने छोटे किसानों को बचा सकें।

किसानों के साथ विश्वासघात

यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से यूपीए शासन में किसानों की दुर्दशा और भी गहरी चिंता का विषय है। देश के विभिन्न भागों में ४००० से अधिक किसानों ने और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में आत्महत्याएं की है। यूपीए सरकार ने किसानों की आत्महत्या के प्रति अत्यंत संवेदनहीनता का रवैया अपनाया है।

यूपीए किसानों का हितैषी होने का दावा करती है। चुनाव के दौरान उसने लम्बे चौड़े वायदे भी किए। परन्तु उसने किसानों की हालत में सुधार लाने की बजाए उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। कोई ठोस कदम उठाने की बात तो दूर, आम बजट में यूपीए सरकार

ने किसानों की आत्महत्याओं की समस्या का जिक्र तक भी करना मुनासिब नहीं समझा।

एनडीए द्वारा जयप्रकाश नारायण ग्रामीण क्रेडिट फंड की ५०००० करोड़ रूपए की निधि को भी यूपीए सरकार ने खत्म कर दिया जबकि यह निधि ग्रामीण लोगों के कल्याण के लिए थी।

एनडीए सरकार द्वारा दूरदर्शन पर शुरू किए गए किसान चैनल को भी बंद कर दिया जिससे किसानों को मदद मिल सकती थी।

गेहूं का आयात: किसान हितों से खिलवाड़

देश में गेहूं का उत्पादन संतोषजनक है और यूपीए सरकार का पांच लाख टन गेहूं का आयात करने का निर्णय एकदम गलत है। सरकार ने अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को गेहूं आयात करने का लाइसेंस दिया है। ये कम्पनियां भारत के किसानों से कम कीमत पर गेहूं खरीदती हैं और उन्हें बांग्लादेश तथा अन्य देशों को भारी लाभ पर निर्यात करती हैं। भारत में गेहूं की बढ़ती कीमतों का कारण बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा गेहूं खरीदना है। इससे भारत के किसानों के हितों से समझौता किया गया और किसानों को नुकसान पहुंचा है।

एफटीए पर कांग्रेस के घड़ियाली आंसू

यह अजीब बात है कि एक तरफ यूपीए भारत एशियाई मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर अपनी पीठ ठोंक रही है और दूसरी तरफ सरकारी नीतियों के कारण किसानों की सहानुभूति नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखा है कि वे देश के किसानों के हितों की रक्षा के लिए एफटीए की ध्यान से समीक्षा करें। यूपीए सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण भारत के किसानों की पीड़ा बढ़ रही है।

गरीबी हटाओ नारा मात्र छलावा

आज से ३५ वर्ष पूर्व कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इन ३५ वर्षों में से २४-२५ वर्षों तक कांग्रेस के शासन के बावजूद गरीबी आज भी विकराल समस्या के रुप में विद्यमान है। आज फिर उसी नारे के सहारे राजनीति चमकाने का प्रयास हो रहा है। कांग्रेस के लिए 'गरीबी हटाओ' सिर्फ नारा ही है, क्योंकि उसे गरीबों के हित से कोई लेना देना नहीं है। संप्रग सरकार की गलत नीतियों के कारण

विकास में असंतुलन के चलते आर्थिक असमानता का फासला निरंतर बढ़ रहा है। अभी भी देश की २८ प्रतिशत से अधिक जनता गरीबी की रेखा के नीचे है।

जनता का सपना चकनाचूर

यूपीए सरकार के शासन में लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। देश की अधिकांश आबादी के लिए आज अपना मकान बनाना एक सपना जैसा हो गया है। यूपीए सरकार ने जनता के सपने को चकनाचूर कर दिया है। एनडीए सरकार के समय होम लोन का दर जहां ७-८ प्रतिशत था वहीं कांग्रेसनीत यूपीए सरकार के शासन में यह बढ़कर १२.७५ प्रतिशत हो गया है। इस सरकार की नीतियों से लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है।

सिलिंग का कहर

सत्तामद में चूर दिल्ली की कांग्रेस सरकार जनता पर कहर ढा रही है। ''गरीब और आम आदमी'' के विकास का राग अलापने वाली कांग्रेस पार्टी उनके ही हितों पर कड़ा प्रहार कर रही है। सरकार की जनविरोधी और दमनकारी नीतियों से लोगों का जीना दूभर हो गया है। यह अजीब विडंबना है कि दिल्लीवासियों को रोजी-रोटी और रोजगार का दिलासा देकर सत्तासीन हुई कांग्रेस सरकार लोगों के घर और दुकानों पर बुलडोजर चला कर उन्हें उजाड़ने में लगी है।

सरकार लोगों के दुकानों को जबरिया सील कर उनके व्यापार को बरबाद करने पर आमादा है। सरकार की साजिश से दिल्ली के पांच लाख दुकानदारों की आजीविका छीनने का प्रयास हो रहा है।

नंदीग्राम नरसंहार

नंदीग्राम में माकपा का खूनी चेहरा एकबार फिर उजागर हुआ। जिनके हितों का झूठी दंभ भरकर ये सत्ता हथियाते है, नंदीग्राम में माकपा इन्हीं मजदूर-गरीब किसानों को गोलियों से भून दिया। किसानों का कसूर केवल इतना ही था कि वे अपना हक मांग रहे थे। ग़ौरतलब

है कि किसानों ने नंदीग्राम में इंडोनेशियाई औद्योगिक घराने सलीम समूह के प्रस्तावित रासायनिक कारखानों के लिए □ू-अधिग्रहण का जमकर विरोध किया। वामपंथी सरकार ने इस संयंत्र की स्थापना के लिए इस गाँव की ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया था। स्थानीय लोग अपनी ज़मीन पर ऐसी कोई इकाई नहीं चाहते हैं। १४ मार्च, २००७ को नंदीग्राम में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर वाम मोर्चा सरकार के इशारे पर पुलिस ने जमकर गोलियां बरसाई, जिसमें कम से कम २० लोग मारे गए और २०० से अधिक घायल हो गए।

पश्चिम बंगाल में यूपीए का एक प्रमुख दल शासन चला रहा हैं। यह बहुत ही दुख की बात है कि जहां एक तरफ राज्यपाल श्री गोपालकृष्ण गांधी ने अपनी आत्मा की आवाज के कारण इस रक्तपात पर अपना गहरा रोष प्रगट किया और महामहिम राष्ट्रपति ने अप्रत्यक्ष रूप से जबरदस्ती भू-अधिग्रहण की आलोचना की, इतना ही नहीं तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। नंदीग्राम में अभी तक आतंक का माहौल छाया हुआ है और सैंकड़ों लोग अपने घरों से गायब हैं।

सिंगूर में किसानों पर लाठी चार्ज

देशभर में पानी पी-पी कर पूंजीपतियों को कोसने वाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने पश्चिम बंगाल में शर्मनाक तरीके से पूंजीपतियों का पिटठू बन कर किसानों पर जुल्म ढाया और केंद्र सरकार अपनी मजबूरियों के चलते मूक दर्शक बनी रही। वहां पर किसान, मजदूर और समाज के पिछड़े लोगों का बुरा हाल है। माकपा का किसान विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। किसानों और मजदूरों के हितों का राग अलापने वाली माकपा के एजेण्डे में केवल पूंजीपतियों और अमीरों का हित संवर्द्धन है।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार ने सिंगूर में टाटा मोटर्स को छोटी कार परियोजना के लिए किसानों की उपजाऊ जमीन दे दी है। इस फैसले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले किसानों ने संघर्ष छेड़ दिया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार के इशारे पर पुलिस ने गरीब किसानों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया।

विफल विदेशनीति

भारत-अमेरिकी परमाणु समझौता

सरकार ने राष्ट्रीय हितों को अमरीका के पास गिरवी रखा

अमेरिकी विधायिका ने जो कानून पारित किया, वह निसंदेह भारत के हितों के खिलाफ है। इसकी कई शर्तें एनपीटी और सीटीबीटी की शर्तों से भी ज्यादा बाध्यकारी हैं। सच तो यह है यूपीए सरकार ने भारत-अमरीका परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रीय हितों को गिरवी रख दिया है और इसके लिए उसने संसद की भी पूरी तरह से उपेक्षा की। दरअसल, अमेरिका जुलाई २००५ से ही अपनी रणनीति लगातार बदलता रहा है और भारत सरकार अमेरिकी दबाव के सामने घुटने टेकती रही है। प्रधानमंत्री द्वारा संसद को दिए गए बार-बार आश्वासन के बावजूद अमेरिका ने भारत के हितों की अनदेखी की। अमेरिका का असली मकसद भारत की आणविक हथियार क्षमता को पूर्णतया समाप्त करना है। अमरिकी कानून के मुताबिक आणुविक परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा, यहां तक कि सब-क्रिटिकल व अन्य परीक्षणों पर भी मनाही होगी, जो पूर्णतया शांतिपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। दरअसल, यह प्रतिबंध भारत के आणविक तकनिकी विकास को पूरी तरह से कुंद कर देगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि यूपीए सरकार अमेरिकी दबाव में आकर भारत की आणविक सुरक्षा, तकनीक विकास और इसके भविष्य को बंधक बना रही है।

इस कानून के अनुसार एटामिक प्लांट्स की सभी सूचनाएं अमेरिकी को देनी होगी, जिसमें अति गोपनीय सूचनाएं भी शामिल हैं। इससे हमारे वैज्ञानिकों द्वारा एटामिक पावर सेक्टर में किए रिसर्च की गोपनीयता बनाए रखना असंभव होगा। बिल पर १५ दिसंबर २००६ को मुंबई में एटामिक एनर्जी कमिशन के चेयरमैन श्री अनिल काकोडकर भारत के आणविक ऊर्जा आयोग के पूर्व प्रमुखों से मिले और उन्हें बताया कि वे उनकी चिंताओं को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। श्री

काकोडकर जिन वैज्ञानिकों से मिले उनमें शामिल थे- श्री पी आर श्रीनिवासन, श्री होमी सेथना, श्री ए एन प्रसाद, श्री वाई एस आर प्रसाद, श्री पीके आयंगर और श्री ए आर गोपालकृष्णन। वैज्ञानिकों का मानना था कि बिल भारतीय हितों के विरूद्ध है और यह १८ जुलाई २००५ में हुए समझौते से काफी भिन्न है।

हाइड बिल के सीनेट और अमेरिकी कांग्रेस में पास होने से पहले अगस्त २००६ में वैज्ञानिक प्रधानमंत्री से मिले और उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराया। साथ ही यह उम्मीद भी जाहिर की बिल में भारत के हितों की अनदेखी नहीं होगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा कुछ भी न हो सका। श्री ए एन प्रसाद ने कहा कि हाइड बिल मूल परमाणु समझौते से हट चुका है और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों से भी अलग है।

भारत-अमेरिका सम्बंध

क्लिंटन प्रशासन ने पहली बार भारत को अपना ''स्वाभाविक मित्र देश'' माना था। और इस लिए वह रणनीतिक रूप में समन्वित दृष्टिकोण अपनाना चाहता था। जनवरी २००४ में एनडीए सरकार द्वारा घोषित एनएसएसपी का उद्देश्य सिविल न्यूक्लियर गतिविधियों, सिविल अंतरिक्ष कार्यक्रम उच्च टेक्नोलोजी व्यापार और मिसाइल रक्षा मामलों में सहयोग बढ़ाना था।

वर्ष २००५ में भारत अमेरिका सम्बंधों में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। एनडीए सरकार की नीति का मुख्य बिन्दु भारत अमेरिकी सम्बंधों में धीरे-धीरे सुधार लाना रहा है। ताकि दोनों देशों के बीच की नीतियों में जो परिवर्तन और विरोधाभास रहे हैं उनको दुरूस्त किया जाए।

अमेरिका के साथ सहमति बनाने में यूपीए का असफल होना चिंता का विषय है। यूपीए सरकार की अस्पष्ट नीतियों से भारत यूएस सम्बंधों में दरार पड़ने और आपसी मित्रता और सहयोग की दीर्घकालीन सम्भावनाओं को क्षति पहुंचती नजर आती है। यूपीए सरकार यह समझ ही नहीं पाई है कि भारत के लोग अमेरिका के साथ ऐसे किसी संबंध को नफरत भरी निगाहों से देखते हैं जिसमें भारत को अमेरिका के सामने झुकना पड़ता हो।

भारत और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रश्न पर सरकार विरोधाभासी संकेत दे रही है। इसने संसद में एक वक्तव्य दिया कि बिना वीटो पावर के स्थायी सदस्यता को स्वीकार करने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद भारत सरकार ने अपना मन बदल लिया और लगता है कि वह इस मामले पर समझौता करने को तैयार है। देश में किसी को भी विश्वास में नहीं लिया गया। इस प्रकार के गम्भीर अन्तर्राष्ट्रीय मामलों को बड़े साधारण ढंग से लिया जाता है।

पाकिस्तान

पिछले कुछ महीनों में मुम्बई और मालेगांव में हुए विस्फोट में पाकिस्तान का हाथ होने के स्पष्ट प्रमाण देश की जांच एजेंसियों को मिले। मुम्बई के पुलिस कमिश्नर ने स्वयं प्रेस कांफ्रेस में यह बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार की कि मुम्बई के धमाकों में पाकिस्तान की खुफिया ऐजेंसी आई.एस.आई. का हाथ है। भारत सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पाकिस्तान के ऊपर किसी भी प्रकार का कूटनीतिक दबाव बनाने में विफल रही है। इसके विपरीत भारत के प्रधानमंत्री उसी से कुछ दिन पूर्व हवाना के गुट निरपेक्ष सम्मेलन में पाकिस्तान के साथ आतंकवाद को रोकने के लिए संयुक्त प्रबंधन की घोषणा करते हैं इतना ही नहीं वो यह भी कहते हैं कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित देश है। इससे पूर्व पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ जम्मू-कश्मीर के लिए फार्मूला दे चुके हैं। वे जम्मू-कश्मीर के संयुक्त प्रबन्धन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा इस सुझाव का स्वागत किया जाना आश्चर्यजनक ही नहीं बल्कि चिंताजनक भी लगता है।

चीन

पिछले वर्ष से चीन के राष्ट्रपति हू जिंताओ भारत की यात्रा पर आए थे। उससे पहले चीन के राजदूत ने यह कहा कि अरूणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। इतना ही नहीं, चीन के राजदूत ने यहां तक कह दिया कि अरूणाचल की भूमि के आदान-प्रदान को लेकर भारत सरकार से वार्ता चल रही है। संसद में नेता प्रतिपक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने इस विषय को उठाया तो इसके उत्तर में सरकार के

विदेश मंत्री का बयान पूरी तरह अस्पष्ट था। जिससे देशवासियों के मन का संशय दूर नहीं होता।

संप्रग शासन में देश की सीमाएं असुरक्षित है। हाल में भाजपा सांसद किरेन रिजीजू ने अरूणाचल में चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाकर संप्रग सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति लापरवाही की पोल खोल दी। उन्होंने बताया कि चीन की सेना अरूणाचल में २० किलोमीटर अंदर घुस आई है। इस बारे में सांसद रिजीजू भारत सरकार को लम्बे अर्से से लिख रहे हैं और इनके जवाब में विदेश मंत्रालय ने माना भी है कि कुछ घुसपैठ अक्सर होती रहती है। प्रदेश के तवांग इलाके में फिर से चीनी घुसपैठ की रिपोर्टों पर रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय पर चुप्पी साधे है। रक्षा मंत्रालय ने चीनी घुसपैठ की रिपोर्ट का खंडन औपचारिक तौर पर जारी नहीं किया। गौरतलब है कि सुमदोरांग छू घाटी का इलाका विवादास्पद है और वहां चीन की सेना सक्रिय है। रक्षा मंत्रालय द्वारा इस मसले पर मौन रहने से इन आशंकाओं को बल मिलता है कि घुसपैठ के मसले को केन्द्र सरकार दबाना चाहती है।

बांग्लादेश

सरकार बांग्लादेश के साथ बातचीत करने में भी उतनी ही असफल रही है। बांग्लादेश से घुसपैठ और अवैध रूप से आने वाले लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं हो रहा है। पाकिस्तान आईएसआई बांग्लादेश को अपनी गतिविधियों के लिए अपना सुरक्षित स्थान समझती है। भारत सरकार दृढ़ता से इस स्थिति से मुकाबला करने में असफल रही है।

यूपीए सरकार के पास बांग्लादेश सरकार से बातचीत करने की कोई नीति ही नहीं है और वहां से भारत में आतंकवादी निरंतर आते रहते हैं और अपनी धरती पर भारतीय आतंकवादियों को भी पनाह देते रहते हैं। उन्होंने षड्यंत्रपूर्वक कई बार भारत के सीमा सुरक्षा बलों के अधिकारियों की निर्मम हत्या की परन्तु यूपीए सरकार सिर्फ शांति का शोर मचाती रही

नेपाल

नेपाल जैसे महत्वपूर्ण पड़ोसी देश के साथ भारतीय विदेश नीति एक सिरे से दूसरे सिरे तक घूमती रहती है। किन्तु यूपीए सरकार की

नेपाल के प्रति ऐसी नीति है, जिससे हर आदमी भौचक्का रह जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच कोई तालमेल नहीं है। कोई नहीं जानता कि नेपाल के प्रति कार्यनीति बनाने का काम किसके पास है। नेपाल में सभ्य समाज को माओवादियों से गहरा खतरा है जो नागरिकों को बड़ी बेपरवाही से हिंसा का शिकार बना रहे हैं।

सियाचीन

भारतीय सेना ने १९८४ से लेकर नियंत्रण रेखा के उत्तर में इस सामरिक क्षेत्र के विषय पर सुरक्षा तथा नियंत्रण के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। पिछले २२ वर्षों में पाकिस्तान ने सियाचीन से भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए जी-तोड़ कोशिश की है जिसमें पाकिस्तान हमेशा विफल रहा है। सरकार को कूटनीतिक रूप से बात करते हुए ऐसा कोई उपहार पाकिस्तान को नहीं सौंप देना चाहिए जिसे हमें हमारे सैनिकों ने युद्ध क्षेत्र में बड़ी मेहनत से लड़ाई लड़ कर लिया है।

वास्तव में सियाचीन शिमला समझौते की एक विरासत है। जिसमें १९७१ में भारत-पाक युद्ध के बाद नियंत्रण रेखा को युद्ध विराम रेखा में परिवर्तित किया गया था। यदि मीडिया की रिपोर्टें सच हैं तो यूपीए सरकार एक अजीब समझौते करने पर विचार कर रही हैं जिसमें भारत साल्टोरे रिज से बाहर निकल आएगा जबकि पाकिस्तान परिभाषित एवं सीमांकित एजीपीएल छोड़ने पर सहमत नहीं हुआ है। वाशिंगटन में बैठे बहुत से चिंतक और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ अधिकारी भारत पर ऐसे अजीबो-गरीब समझौते को स्वीकार करने का आग्रह भी कर रहे हैं।

खतरे में आंतरिक सुरक्षा

यूपीए सरकार की सबसे बड़ी विफलता आंतरिक सुरक्षा मोर्चे पर है। उसने कभी भी राजनैतिक तथा चुनावी कारणों से सीमा-पार आतंकवादियों, माओवादियों की गतिविधियों एवं विभाजनकारी तत्वों से निपटने के लिए कारगर उपाए नहीं किए फिर भी इस सरकार ने

'पोटा' हटा दिया। परिणामतः आतंकवादी संगठनों ने राजधानी में दिवाली के मौके पर विस्फोट करने की हिम्मत की और ६३ लोगों को मौत की नींद सुला दिया तथा २०० से अधिक लोग घायल हो गए जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दुःख की बात है कि अभी तक भी अपराधियों को पकड़ने में कोई प्रगति नहीं हुई।

हमारी सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी बंगलौर भी आतंकवादियों के निशाने पर रही जिसमें एक प्रोफेसर की मृत्यु हो गई। आतंकवादियों ने अयोध्या में राम मन्दिर परिसर पर भी हमला बोला।

मुम्बई में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट हुए। ११ जुलाई २००६ को मीरा मायंदर, जोगेश्वरी, माहीम, सांता क्रूज, खार, मटुंगा और बोरीबली स्टेशनों पर पश्चिमी रेलवे के प्रथम श्रेणी के डिब्बों में एक-एक करके सात विभिन्न स्थलों पर बम विस्फोट हुए जिनमें २०० लोगों की मृत्यु हो गई तथा ६२५ से अधिक लोग घायल हो गए। मालेगांव बम विस्फोटों में ४० निर्दोष लोगों की हत्या और ६५ लोग घायल हो गए। श्रीमती सोनिया गांधी तथा डा. मनमोहन सिंह का महाराष्ट्र पुलिस का आदेश था कि वे इन घटनाओं के लिए एक विशेष अल्पसंख्यक वर्ग को निशाना न बनाए, इसलिए इन अपराधियों का पता लगाने में आगे प्रगति नहीं हो पाई।

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुडी जिले में बेलाकोबा स्टेशन पर हल्दीबारी-सिलीगुडी पैसेंजर ट्रेन के अन्दर एक बार फिर आतंकवादियों ने बम विस्फोट किया। १० निर्दोष लोग मारे गए और ५० व्यक्ति घायल हो गए। २३ नवम्बर को असम में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के बाहर एक बम विस्फोट होने से ३ लोग मारे गए और ६ लोग घायल हो गए। समझौता एक्सप्रेस में हुए धमाकों ने एक बार फिर देश की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया। घटना के बाद यह कहा गया कि दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक के ठीक पहले आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया, ताकि शांति वार्ता की गति को अवरोधित किया जा सके। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में विश्व प्रसिद्ध चारमीनार के पास ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में १८ मई २००७ को बम विस्फोट में कम से कम पांच व्यक्तियों की मौत हो गई और बीस घायल हो गए।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बयान

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एम.के. नारायणन ने मुनीच में ४३वें सुरक्षा नीति सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों एवं शासनाध्यक्षों के सामने बोलते हुए जो कुछ कहा उससे भाजपा के इस कथन की पुष्टि होती है कि श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चल रही यूपीए सरकार आरम्भ से ही आतंकवाद के प्रति नरम रूख रखती है। यह बात स्वीकार की जाती रही है कि फर्जी सौदों के माध्यम से आतंकवादी ग्रुपों को धन देने के लिए भारत के स्टाक एक्सचेंजों का गलत दुरूपयोग किया जाता है जिससे भाजपा के इस कथन को और भी बल मिलता है कि भारत की धरती पर आतंकवादी और जेहादी उग्रवादी संगठनों के लिए विशाल मात्रा में धन-प्रवाह होता रहता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का यह कहना कि पाकिस्तान की 'सरकारी एजेंसियां' भारत में उग्रवादियों के लिए लाखों डालर भेज रही हैं तथा इसके साथ ही साथ खुफिया तथा समानान्तर बैंकिग व्यवस्था का इस्तेमाल कर उनको धन पहुंचाया जा रहा है इससे पता चलता है कि हमारे देश में समग्र रूप से खुफिया नेटवर्क और इससे भी अधिक आर्थिक खुफिया तंत्र पूरी तरह से विफल है। यह बात भी पुष्ट होती है कि खुफिया तौर पर सूचनाएं इकट्ठा करने की व्यवस्था का ढांचा ही गिर चुका है। हमारा आरोप है कि सरकार और नियामक प्राधिकरण सुरक्षा मोर्चे पर पूरी तरह से विफल हो चुके हैं।

भाजपा सदैव इस बात पर जोर देती रही है कि बांग्लादेशियों का इस देश में बड़ी संख्या में आने से रोका जाए और उन विदेशियों को निष्कासित किया जाए जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर बुरा असर पड़ता है और साथ ही यह भी देखा गया है कि यूपीए सरकार इसके प्रति लापरवाह रही है, बल्कि उसने असम में पिछले दरवाजे से उस आईएमडीटी एक्ट को लेकर आई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की यह बात और भी पुष्ट होकर सामने आती है कि बांग्लादेश से भारत की धरती पर आतंकवादी गतिविधियां चलाने के लिए नकली करेंसी का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का यह बयान कि आतंकवादी ग्रुप रेस्त्रां, सम्पत्ति खरीदने-बेचने, जहाजरानी आदि जैसे वैध धंधों में लगे

हुए हैं, जिससे पता चलता है कि सरकार वित्तीय सौदों की धोखाधड़ी रोकने के काम में भी लाचार नजर आती है।

सेना वापसी की साजिश

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ओर जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है, वहीं कुछ राष्ट्रविरोधी ताकतें जम्मू-कश्मीर से सेना वापसी की मांग कर रहे हैं। इस तरह की साजिश से सेना का मनोबल गिरता है। गौरतलब है कि आतंकवादी भारत को साफ्ट स्टेट मानकर चल रहे हैं। ऐसे में यूपीए सरकार को आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए लेकिन इसके बजाए सरकार संकीर्ण राजनीति कर रही है, जो चिंता का विषय है। भारत की जनता किसी तरह का देशद्रोही निर्णय व कश्मीर से सेना की वापसी स्वीकार नहीं करेगी।

पोटा वापसी

पोटा को हटाने से आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई पर विपरीत असर पड़ा है। यूपीए सरकार ने आतंकवादी निवारण अधिनियम को भी समाप्त कर मुसलमानों और कम्युनिस्टों को संतुष्ट करने के लिए किया, जिससे यह साफ नजर आने लगा है कि भारत अंतराष्ट्रीय क्षेत्रों में भी आतंकवादी ताकतों से निपटने की ताकत खो बैठा है।

रिपोर्ट में यह भी कहा है कि ''जम्मू और कश्मीर में सबसे अधिक आतंकवादी ग्रुप और विभाजनकारी तत्व है, पूर्वी भारत में 'नक्सलवादी पट्टी' में माओवादी है और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जातीय-भाषायी राष्ट्रवादी' संहारक क्षमता रखते हैं।''

आतंकवाद-विरोधी कानून पर आधारित कोई कानूनी प्रणाली नहीं है, इसके अलावा भारत के आतंकवाद से लड़ने के प्रयासों में एक और बड़ी खामी यह है कि सुरक्षा बलों के पास ठीक प्रकार के हथियार भी नहीं है- ''भारत की स्थानीय पुलिसकर्मियों का ठीक ढंग से प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है और उनके पास आतंकवाद के साथ लड़ने के लिए प्रभावी हथियार भी नहीं है।''

आतंकवाद से समझौता- 'अफजल बचाओ'

यूपीए सरकार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अक्षम है। वह वोट बैंक की खातिर किसी हद तक जा सकती है। मोहम्मद अफजल गुरु को माफी देने के मामले में यूपीए सरकार पूरी तरह मौन

धारण किए हुए है, जबकि देश की सर्वोच्च न्यायालय उसे मृत्युदंड की सजा सुना चुकी है। भारतीय संसद पर १३ दिसम्बर २००१ को हुए आतंकी हमले के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अफजल गुरु को हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और देशद्रोह में दोषी पाया है।

संसद पर हमला पूरी तरह से उस छद्मयुद्ध की गहरी छाया ही थी, जो पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध सीमापार आतंकवाद के माध्यम से छेड़ रखा है। यह न केवल भारतीय लोकतंत्र के मंदिर पर हमला था बल्कि भारत की सम्प्रभुता पर भी एक दुस्साहसपूर्ण हमला था। इस हमले के पीछे किसी भी राजनैतिक दल का लिहाज किए बिना सभी सांसदों और सरकार के सभी नेताओं के साथ-साथ पूरी भारतीय शासन व्यवस्था को समाप्त कर देने की विद्वेषपूर्ण साजिश थी।

विश्व के किसी भी देश ने इस तरह का वीभत्स आतंकवादी हमला नहीं देखा होगा। यही कारण था कि संसद पर तैनात बारह सुरक्षाकर्मियों ने अपनी आहुति देकर भारत के संसद और सांसदों की जान बचाई।

यह दुख और हैरानी की बात है कि मानवाधिकार के कुछ स्वयंभू ठेकेदार 'अफजल बचाओ' अभियान में जुट गए और वे सभी लोग कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी से सहानुभूति रखते हैं।

शहीदों के परिजनों का पदक लौटाना दु:खद

संसद के हमले के शहीद के परिवारों ने राष्ट्रद्रोही अफजल को फांसी दिये जाने के मामले में कांग्रेस के नरम रूख के विरोध में सरकार द्वारा दिये गये वीरता के पदक लौटा दिये। शहीदों के परिवारों द्वारा पदक लौटाना केन्द्र सरकार की वोट बैंक की राजनीति पर करारा प्रहार है।

मदनी और अफजल के नाम पर कांग्रेस को वोट दो

दिसम्बर २००६ में केरल में तिरूवंमबाडी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्पन्न उप-चुनावों में कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने राष्ट्रीय या राज्य के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि यह चुनाव आतंकवादी, नितांत कम्युनिस्ट और इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन के बीच था। सीपीएम ने एक पोस्टर जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने उम्मीदवार के लिए मदानी के चित्र लगाकर वोट मांगे। कांग्रेस कोयम्बटूर श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले के 'टेरर किंग' अब्दुल नासिर मदानी के आगे

झुकने में जरा नहीं हिचकिचाई। कांग्रेस पोस्टरों में प्रधानमंत्री या श्रीमती सोनिया गांधी के चित्र भी नहीं थे। परन्तु उसने मदानी और सद्दाम हुसैन के नाम पर वोट मांगे। कुछ स्थानों पर, कांग्रेस ने संसद मामले के उस अभियुक्त अफजल गुरू के नाम पर भी वोट मांगे, जिन्हें देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुना रखी है। अंत में सत्तारूढ़ सीपीएम ने २४६ वोटों के बहुमत से तिरस्कारपूर्ण ढंग से जीती क्योंकि तथ्य यह है कि अभी ६ महीने पहले ही सत्ताधारी पार्टी एलडीएफ ने इसी सीट पर ५००० से अधिक वोटों से विजय प्राप्त की थी। मदानी ने मुस्लिमों को फतवा जारी किया था कि वे सीपीएम उम्मीदवारों को वोट दें।

फिर भी हमारी महान मार्क्सवादी पार्टी और कांग्रेस सेक्युलर होने की डींग हांक रही है। यह विडम्बना ही है कि एक तरफ कांग्रेस और कम्युनिस्ट वीर सावरकर जैसे राष्ट्रवादियों पर कटाक्ष कर रही है तो दूसरी तरफ वोट की खातिर भयंकर आतंकवादियों को सम्मान दे रही है।

गिलानी का राष्ट्रविरोधी कृत्य

हाल में ही श्रीनगर में आयोजित भारत विरोधी रैली में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने भारत के खिलाफ विषवमन कर केन्द्र सरकार की कश्मीर नीति को कड़ी चुनौती दी है। रैली में लश्कर-ए-तोयबा एवं हिज्बुल मुजाहिद्दीन ने भारत विरोधी नारे लगाए एवं अपने झण्डे लहराए। यह भारत विरोधी रैली केन्द्र सरकार की अलगाववादियों व आतंकियों के प्रति नरम नीतियों का नतीजा है। कश्मीर में इस तरह के भारत विरोधी आयोजन से केन्द्र सरकार की आंखें खुल जानी चाहिए। जहां एक ओर कश्मीर में स्वशासन की बात हो रही है, वहीं कश्मीर से सेना वापसी का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कश्मीर का विसैन्यीकरण करने की मांग तभी क्यों उठती है, जबकि सेना आतंकियों पर बिल्कुल भारी पड़ चुकी होती है। प्रधानमंत्री द्वारा बार-बार गिलानी को बातचीत के लिए न्यौता देना चिंता का विषय है। इस राष्ट्रविरोधी कृत्य के लिए गिलानी के खिलाफ जम्मू-कश्मीर सरकार राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के बजाए चुप्पी साधी हुई है।

नक्सलवादी/माओवादी

यूपीए सरकार की राजनीतिक-चुनावी सोच के कारण नक्सलवादियों

की धमकियों के प्रति नरम रूख अपनाए हैं। चुनावी समर्थन के बदले में आंध्र प्रदेश के चुनावों में राज्य की कांग्रेस सरकार ने पीडब्ल्यूजी पर से प्रतिबंध हटा लिया, कांग्रेसी मंत्रियों ने बन्दूक एवं गोलाबारूद हाथ में लिए इनके नेताओं के साथ बातचीत करने में भी संकोच नहीं किया। इस तरह की नीति कांग्रेस पर उलटी पड़ गई और राज्य सरकार को फिर से नक्सली संगठनों पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। इसी बीच इन नक्सली ग्रुपों ने फिर से अपना ग्रुप बनाया और मजबूत किया, उन्हें देश में अन्य ग्रुपों के साथ सम्पर्क करने का मौका मिलने का पर्याप्त समय मिल गया।

पिछले तीन वर्षों में देश ने दलगत हितों के लिए यूपीए सरकार द्वारा राष्ट्रीय हितों से समझौता करने के शर्मनाक प्रयास देखे हैं। यह सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कायम रखने में अक्षम रही है। जिसके कारण उग्रवादी वामपंथियों की हिंसा निरंतर बढ़ती रही है। जहांनाबाद में जेल तोड़ने की घटना और बिहार में मधुबनी ब्लाक की घटना से पता चलता है कि नक्सलवादी ग्रुप बड़े सहज रूप में अपना काम कर रहे हैं। नक्सलवादियों का उद्देश्य नेपाल से लेकर आंध्रप्रदेश तक एक ''रेड कॉरिडोर'' बनाने का है। यूपीए सरकार के पास इन उग्रवादियों से निपटने की कोई नीति नहीं है। बल्कि सरकार पड़ोसी देश नेपाल में माओवादियों के साथ समझौता करने में भी लगी है।

नक्सलवादियों का खतरा १५ राज्यों में नेपाल से लेकर श्रीलंका तक १७० जिलों में फैला हुआ है। इसका मतलब यह है कि लगभग देश का ४० प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र और ३५ प्रतिशत जनसंख्या खतरे में पड़ जाती है। इसके विपरीत काश्मीर में और पूर्वोत्तर में भी विद्रोह हो रहे हैं जिनसे देश का ११ प्रतिशत क्षेत्र और ४.५ प्रतिशत जनसंख्या प्रभावित होती है।

यूपीए की घुटने टेक नीति से नक्सली खतरा अनियंत्रित रूप से बढ़ता जा रहा है।

डोडा से हिन्दुओं का पलायन

पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के चलते जम्मू-कश्मीर से हिन्दुओं का बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। यहां तक कि लद्दाख और लेह में बौद्ध जनसंख्या अल्पसंख्यक बन गई है। ३० अप्रैल २००६ को कुल्हांड, डोडा में २२ लोगों की हत्या हुई। ये सब के सब हिंदू थे। बसंतगढ़, ऊधमपुर में १३ व्यक्तियों का अपहरण करके हत्या की गई।

ये □ी हिंदू थे। पोछड़ा गांव में इसी तरह से १० लोगों की हत्या की गई। यह हमला इस बात को दिखाता है सोची-समझी साजिश के तहत मुताबिक जिन गांवों में हिंदू रहते हैं वहां ऐसा आतंक पैदा कर दिया जाए कि वे वहां से छोड़कर चले जाएं। बसंतगढ़, ऊधमपुर में १३ व्यक्तियों का अपहरण करके हत्या की गई। ०१ मई २००६ को बहड़ा, डोडा में श्री अमीचन्द की हत्या की गई। १२ मई २००६ को डोडा में दो हिन्दुओं की हत्या की गई। १३ मई २००६ को □ाजपा के कार्यक्रम में ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें दो कार्यकर्ता श्री मुंशी राम और श्री □ारत □ूषण की मृत्यु हुई और ३६ लोग धायल हुए।

पाकिस्तान का नाम लेने में संकोच

सीमापार आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार कोई सैद्धांतिक दृष्टिकोण नहीं अपना पाई है। यह निर्विवाद सत्य है कि प्रत्येक आतंकवादी हमले में, चाहे वह जम्मू-कश्मीर, नई दिल्ली, अयोध्या, बंगलौर या देश के किसी भी कोने में हुआ हो, पाकिस्तान का हाथ रहा है। परन्तु आश्चर्य की बात है कि यूपीए के मंत्री पाकिस्तान का नाम लेने तक में संकोच कर रहे हैं। प्रत्येक आतंकवादी हमले के पीछे प्रधानमंत्री कहते हैं कि वे आतंकवाद के साथ लड़ने के लिए देश को कभी संकल्पहीन नहीं कर सकते और साथ ही यूपीए सरकार तोते के रटे रटाए शब्दों को दोहराती है कि पाकिस्तान के साथ वार्ता जारी रहेगी। इससे पाकिस्तान तथा पाक-समर्थित आतंकवाद को और अधिक शह मिलती है।

एनडीए द्वारा जनवरी २००४ में जारी संयुक्त वक्तव्य में श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री परवेज मुशर्रफ ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पाकिस्तान अपने किसी क्षेत्र को सीमा-पार आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। परन्तु प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह तथा जनरल मुशर्रफ द्वारा संयुक्त वक्तव्य में सीमा-पार आतंकवाद का कोई जिक्र तक नहीं है, जैसे कि अब इसका कोई खतरा ही नहीं है।

पूर्वोत्तर राज्यों में बिगड़ती हालत

पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में आज की स्थिति में लगता है कि यूपीए सरकार का हुकुम कोई मानता ही नहीं है। पिछले वर्ष स्थिति इस हद तक बिगड़ गई थी कि मनोरमा के बलात्कार के बाद मणिपुरी महिलाओं ने इसके विरोध में नग्न होकर खुलेआम प्रदर्शन किया। इस

प्रकार की घटना आज तक कभी पहले सुनने में नहीं आई। इस घटना के दो महीने बाद गृह मंत्री वहां गए। २००५ में स्थिति इस हद तक बिगड़ी कि छात्रों ने नाकाबंदी कर दी जिससे दो महीने तक मणिपुर में आवश्यक वस्तुएं नहीं पहुंच पाई, जिससे लोगों को अथाह दुख झेलने पड़े। आतंकवादी संगठनों ने लोगों को चुनाव न लड़ने की धमकी दी तथा म्युनिसिपिल चुनावों में अपना मत न डालने को कहा जिससे उम्मीदवार तथा मतदाता चुनावों में भाग नहीं ले सके।

इस प्रकार का संकीर्ण दृष्टिकोण देश के लिए महंगा पड़ रहा है। असम में कांग्रेस सरकार ने करबी अंगलोन में करबीयों और दिमासाओं के बीच बने तनाव के प्रति आंखें मूंद रखी हैं। असम में कांग्रेस सरकार राष्ट्रीय अखंडता पर हो रहे इन हमलों के लोगों के साथ मिली हुई है।

अशांत असम

गत ५, ६ और ७ जनवरी, २००७ को लगातार तीन दिन प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट और असम (उल्फा) ने असम के पूर्वी हिस्से में कई स्थानों पर हिंसक हमले कर ६८ लोगों की हत्या कर दी। इन हमलों में मुख्य रूप से हिन्दी भाषी लोगों को निशाना बनाया गया, जो मूल रूप से बिहार और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इस प्रकार के सुनियोजित हमले को देखते हुए असम के हिन्दी भाषी निवासियों में आतंक व भय का वातावरण बन गया है। असम की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार की आतंकवाद और अलगाववाद के प्रति नरम रवैए के नतीजतन हुई है। कांग्रेस पार्टी ने असम के चुनाव के समय उल्फा की सहायता ली थी और यही कारण है कि वहां की कांग्रेसी सरकार प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ कोई कारगर और सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने फारेनर्स एक्ट को भी रद्द किया

५ नवम्बर २००६ को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस प्रयास को और गहरा झटका दिया जब उसने असम में अवैध आप्रवासियों की पहचान के लिए अलग व्यवस्था करने की सोची। फारेनर्स एक्ट में सुधार करने वाली सरकार की दो अधिसूचनाओं का रद्द करते हुए कोर्ट ने केन्द्र द्वारा पीछे के रास्ते से आईएमडीटी एक्ट को फिर से

लागू करने के प्रयास को बंद कर दिया।

केन्द्र की भर्त्सना करते हुए जस्टिस श्री एसबी सिन्हा और श्री मारकंडेय काटजू की पीठ ने कहा– ''यह सुनिश्चित करने के लिए इच्छाशक्ति की कमी है कि अवैध आप्रवासियों को बाहर खदेड़ा जाए'' और केन्द्र को आदेशों पर अमल करने के लिए चार महीने का अल्टीमेटम दिया। फरवरी २००६ में जारी की गई दो अधिसूचनाओं ने अमल में वर्तमान फारेनर्स एक्ट के संशोधन को प्रभावित किया था, जिसके द्वारा कोइ व्यक्ति अवैध अप्रवासी है या नहीं, ट्राइबुनल और शिकायतकर्ता पर सिद्ध करने का भार था, जिसे ट्राइबुनल को संतुष्ट करना था। मूल एक्ट में, यह सिद्ध करने का दायित्व उस व्यक्ति पर था कि वह व्यक्ति था कि वह अवैध आप्रचासी है या नहीं।

आईएमडीटी एक्ट को निरस्त करते हुए पीठ ने देखा कि नई अधिसूचना जारी कर सरकार कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दे पाई है। आईएमडीटी एक्ट शिकायतकर्ता पर सिद्ध करने का भार था और इस प्रक्रिया के कारण इस प्रकार की शिकायतों की सुनवाई के लिए ट्राइबुनल के बहुत से मामले लम्बित पड़े थे। पीठ ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ''ऐसा लगता है कि २००६ का आदेश इसलिए जारी किया गया ताकि जुलाई २००५ में जारी इस कोर्ट के निदेशों का कार्यान्वयन न किया जाए।

इस प्रकार की कार्रवाई को संविधान के अनुच्छेद १४ का उल्लंघन मानते हुए पीठ ने टिप्पणी की ''यह भी देखा गया है कि इस कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों को शून्य करने के लिए यह 'सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन' बनाने का प्रयास हुआ है।'' कोर्ट ने याचिकाकर्ता के विचारों से सहमति जताई, जिसने यह आशंका व्यक्त की थी कि अधिसूचना का ही पुनरावतरण है क्योकि किसी अवैध आप्रवासी की पहचान करने का भार ट्राइबुनल पर होगा।

आईएमडीटी एक्ट

७ जुलाई २००५ को सर्वोच्च न्यायालय ने आईएमडीटी एक्ट १९८३ को 'असंवैधानिक' करार दे दिया परन्तु यूपीए सरकार अभी तक भी इस निर्णय पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। इस निर्णय के कार्यान्वयन में विलम्ब करने और समय बर्बाद करने के लिए उसने एक मंत्री-समूह का गठन कर दिया है, परन्तु उसने कुछ काम नहीं किया है। यह बात विशेष रूप से जानबूझ कर असम विधानसभा

चुनावों को ध्यान में रख कर की गई क्योंकि कांग्रेस अवैध प्रवासियों के वोट नहीं खोना चाहती थी। असम चुनावों की पूर्व संध्या पर यूपीए सरकार ने 'फारेर्न्स एक्ट' में संशोधन किया जो असम राज्य पर लागू होगा ताकि अवैध प्रवासियों की मदद की जा सके।

अयोध्या में आतंकवाद

अयोध्या में आतंकवादियों का हमला केवल सुरक्षा की चूक नहीं थी बल्कि यह उस सोच का परिणाम थी जिसमें हर बात को 'साम्प्रदायिकता' का नाम दिया जाता है। विशेष रूप से जब यह बात यूपीए की निष्क्रियता अथवा हिन्दुओं के हितों से सम्बंधित होती है। अयोध्या भारत के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। यह हमारे करोड़ों हिन्दुओं की मान्यताओं को प्रदर्शित करता है।

घोटालों की सरकार

क्वात्रोच्चि पर रहम

कुछ दिनों पहले यूपीए के कानून मंत्री श्री एच.आर. भारद्वाज की कृपा से बोफोर्स मामले में दलाल ओत्तावियो क्वात्रोच्चि के व्यक्तिगत खातों को डिफ्रीज कर दिया गया। सीबीआई सूत्रों के अनुसार इसका मतलब क्वात्रोच्चि के खिलाफ केस को कमजोर किया जाना है। एक ऐसी पार्टी, जिसमें वहां की सुप्रीम लीडर की इजाजत के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है, जिससे निष्कर्ष निकालना जरा भी कठिन नहीं है। कानून मंत्री श्री एच.आर. भारद्वाज ने जो कुछ भी किया, उसे वह अपनी सुप्रीम लीडर की स्वीकृति के बिना करने की हिम्मत कर ही नहीं सकते थे। वह तब तक यह सब कुछ नहीं कर सकते थे, जब तक उन्हें यह विश्वास न हो जाए कि ऐसा करने से ही उनकी सुप्रीम लीडर खुश होगी। यह बात कि वे खुश थी, इस बात से सिद्ध हो गई जब श्री भारद्वाज की गलती के लिए उन्हें हटाने की बजाए उनको बचाया गया तथा उन्हें लगातार छठी बार राज्यसभा के लिए नामित कर उन्हें पुरस्कृत किया गया।''

यह याद रखना जरूरी होगा कि श्रीमती सोनिया गांधी के साथ क्वात्रोच्चि के व्यक्तिगत सम्बंध सबको मालूम है और कुछ सूत्रों का तो यह भी कहना है कि ये सम्बंध बहुत पहले के हैं। क्वोत्रोच्चि ने गांधी परिवार के सम्बंध में अपनी निकटता की बात अपने विभिन्न साक्षात्कारों

में स्वीकार भी की है जिसका किसी ने खण्डन भी नहीं किया है। यूपीए सरकार क्वात्रोच्चि पर बड़ी मेहरबान रही है, हालांकि उनके खिलाफ आज भी रेड कार्नर नोटिस निकला हुआ है। वह अभी तक पुलिस और कोर्ट की निगाह में भगौड़ा है जिसे यूपीए सरकार बचा रही है।

क्वात्रोच्चि गिरफ्तार

२० फरवरी २००७ को क्वात्रोच्चि अर्जेंटीना में गिरफ्तार कर लिया गया। अर्जेंटीना के कानून के मुताबिक भारत सरकार को उसके प्रत्यर्पण के लिए तीस दिनों के अंदर केस फाइल करनी थी, लेकिन संप्रग सरकार ने इस अति महत्त्वपूर्ण सूचना को लोगों से २० दिनों तक छिपाए रखा। दुर्भाग्य है कि यह सूचना लोगों को चैनेलों के माध्यम से मिली। ऐसा लगता है कि सरकार इसे पूरे ३० दिनों तक छिपाए रखना चाहती थी, ताकि क्वात्राच्चि फरार हो जाए। संप्रग सरकार यह कह कर अपना बचाव कर रही थी, कि भारत की अर्जेंटीना से कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है, हालांकि स्रोतों का कहना है कि दोनों देशों के बीच ब्रिटिश काल से ही प्रत्यर्पण संधि है, जिसे दोनों देशों में से किसी ने भी भंग नहीं किया है।

सच तो यह है कि संप्रग सरकार का निर्णय गलत था। गौरतलब है कि अबू सलेम को बिना प्रत्यर्पण संधि के ही पुर्तगाल से भारत लाया गया था।

स्कोर्पियन पनडुब्बी घोटाला

गत मार्च २००६ में यूपीए सरकार का भ्रष्टाचार का एक बड़ा घोटाला सामने आया। मामला था स्कोर्पियन पनडुब्बी खरीद मामले में लगभग ७५० करोड़ की दलाली लेने का। जिस 'थेल्स' नाम कंपनी से भारत सरकार ने यह पनडुब्बी खरीदी उस कंपनी का नाम विश्व बैंक की काली सूची में दर्ज है। एनडीए सरकार के कार्यकाल में इस कंपनी की अविश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए थेल्स कंपनी के प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया था। पर वहीं वर्तमान यूपीए सरकार ने उसी कंपनी से १८७६८ करोड़ रूपये के स्कोर्पियन पनडुब्बी का सौदा किया तथा लगभग ७५० करोड़ रूपये की दलाली इस पूरे सौदे में कुछ बिचौलियों के बीच बांट ली गयी।

मित्रोखिन आर्काइव्ज में खुले भेद

पिछले वर्ष 'मित्रोखिन आर्काइव्ज' के प्रकाशन से कांग्रेस और कम्युनिस्टों की शर्मनाक गाथा सामने आई जिससे पता चलता है कि धन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डाला जा सकता है। इस बात का आरोप लगा है कि इमर्जेंसी के उन बदनाम दिनों में केजीबी ने श्रीमती गांधी के समर्थन देने तथा उनके राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ गतिविधियां चलाने के लिए १०.६ मिलियन रूबल (उस समय के विनिमय दर के हिसाब से लगभग १० मिलियन पौंड से अधिक) की राशि खर्च की थी।

केजीबी के पेपरों से यह भी पता चलता है कि १९७७ के चुनावों में केजीबी ने २१ गैर कम्युनिस्ट राजनीतिज्ञों को, जिन में चार केन्द्रीय मंत्री भी शामिल थे, को मदद दी थी। मास्को ने केजीबी के माध्यम से सीबीआई को बडी तादाद में धन दिया था। अकेले १९७५ के पहले छह महीनों में ही २५ लाख रूपए भेजे गए थे।

वोल्कर

पॉल वोल्कर के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र समिति में जो रहस्योद्घाटन हुए हैं उससे कांग्रेस की विफलताओं की सूची और बढ़ गई है। इसमें कांग्रेस और तत्कालीन विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह को २००१ में ईराकी तेल बिक्री में गैर अनुबंधीय लाभार्थी के रूप में दिखाया गया है। शुरू में प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने श्री नटवर सिंह से मुलाकात करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि अनाज के बदले तेल कार्यक्रम के बारे में संयुक्त राष्ट्र जांच में जो कुछ तथ्य सामने आए हैं वे किसी विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपर्याप्त हैं।

बाद में कांग्रेस और प्रधानमंत्री को मुंह की खानी पड़ी जब श्री नटवर सिंह ने त्यागपत्र देने का फैसला किया ताकि कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की खाल बचाई जा सके क्योंकि वे भी इस घोटाले में उतनी ही शामिल थी और यह बात उनकी सहमति और जानकारी के बिना नहीं हो सकती थी।

अब जांच श्री नटवर सिंह तक सीमित है और आश्चर्य की बात है कि यूपीए सरकार इस घोटाले पर अजीब सी चुप्पी साधे है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। सरकार ने वोल्कर घोटाले की जांच के लिए जस्टिस आर.एस. पाठक अथोरिटी गठित की है। यह अथोरिटी बड़ी धीमी गति से कार्य कर रही है। इसका ६ महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है। और इसका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया है।

पाठक अथॉरिटी की रिपोर्ट

जस्टिस आर.एस. पाठक अथॉरिटी की रिपोर्ट से कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी और पूर्व विदेश मंत्री के. नटवर सिंह के लिए गहरा धक्का लगने वाली बात होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों उसी दिन से ही अपने को निर्दोष होने का दावा करते आ रहे हैं जबसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त वोल्कर कमिटी ने 'अनाज के बदले तेल' के कार्यक्रम के अंतर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए तेल वाउचरों में इन दोनों का नाम गैर-अनुबंधीय लाभार्थी के रूप में लिया था। जस्टिस पाठक ने नटवर सिंह, उनके बेटे जगत सिंह दोनों को ही ठेका प्राप्त करने में अपने पदों का दुरूपयोग करने का दोषी पाया है। एक ऐसी पार्टी जहां श्रीमती सोनिया गांधी की स्वीकृति के बिना पत्ता तक भी नहीं हिल सकता तो कैसे यह माना जा सकता है कि जो कुछ हुआ उसके बारे में श्रीमती गांधी को पता ही नहीं था।

जस्टिस पाठक अथॉरिटी रिपोर्ट से प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा क्लीन चिट पर भी प्रश्न खड़े हो जाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री ने यह दावा किया था कि रिपोर्ट में 'अपर्याप्त साक्ष्य' है जिनसे श्री नटवर सिंह के खिलाफ किसी विपरीत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। यदि ऐसी बात है तो जस्टिस पाठक श्री नटवर सिंह को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं। यदि ऐसा है तो डा. मनमोहन सिंह ने क्यों नटवर सिंह से विदेश पोर्टफोलियो छीना और कुछ दिनों बाद क्यों उन्हें अपने मंत्रिमंडल से हटा दिया?

बोइंग सौदे में जांच की आवश्यकता

यूपीए सरकार ने एयर इंडिया के लिए विमान प्राप्त करने के लिए जो ढंग अपनाया है उससे भारत और विदेशों में गहरी नाराजगी है। जो प्रक्रिया अपनाई गई हैं उसमें कहीं पारदर्शिता नहीं हैं।

नौसेना वार रूम से सूचनाएं लीक

पिछले दिनों भारतीय सेना के एक प्रमुख अंग नौसेना के वार रूम

से कुछ गुप्त सूचनाएं लीक किये जाने व उन्हें विदेशियों को बेचे जाने का मामला सामने आया। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि इस मामले में नौसेना के ३ अफसरों को बिना किसी कोर्ट मार्शल या जांच के बर्खास्त कर दिया गया। पर जिन लोगों ने यह सूचना लीक की और विदेशियों को बेचा उनके खिलाफ केंद्र सरकार ने कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की है। यदि इस मामले में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त किया गया तो इन बिचौलियों को सरकार क्यों बचा रही है? वह भी तो देशद्रोह का मामला है। रक्षा मंत्री प्रणव मुखर्जी का इस पूरे मामले में बयान आश्चर्य में डालने वाला है । उनका कहना है कि लीक हुई सूचनाएं वाणिज्य महत्व की थी।

उपसंहार

देश की समृद्धि, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा के लिए ही जनता सरकार को चुनती है। जनता को ऐसे जनप्रतिनिधियों की जरूरत होती है जो सुशासन एवं मजबूत प्रशासन को बेहतर तरीके से संचालित कर सके जिससे लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा हो सके, उनको रोजगार, भोजन, आवास जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकीं। लेकिन कांग्रेसनीत यूपीए सरकार इन सभी मोर्चे पर असफल साबित हो गई हैं। निश्चित रूप से सरकार ने आम लोगों के साथ विश्वासघात किया है।

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में जनता से तमाम लुभावने वायदे किए थे लेकिन उसको पूरा करने में वह असफल साबित हुई है। अनेक दलों की मिलीभगत से चल रही यूपीए सरकार के 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम' की पोल खुल गई है। सरकार ने तमाम ऐसे जनविरोधी नीतियों को लागू किया है जिससे जनता के बीच बेहद आक्रोश व्याप्त है।

◆◆◆